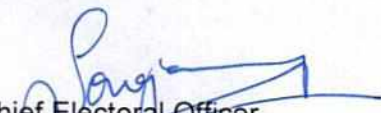


Summary of DEO's Scrutiny Report from the State of **UTTARAKHAND** General Elections to the **HOUSE OF THE PEOPLE** Year **2019**

Category-1-Candidates where no defects pointed out by the DEO in the DEO's Scrutiny Report						
Sl. NO	District	No.& Name Of PC	Name of Candidate	Returned or Non-returned	Party Affiliation/ Independent	Remarks
1	Dehradun	01-Tehri Garhwal	Pritam singh	NR	Indian National Congress	
			Mala Rajya Laxmi Shah	R	Bharatiya Janata Party	
			Rajendra Purohit	NR	Communist Party of India (Marxist)	
			Satyapal	NR	Bahujan Samaj Party	
			(CA) Sanjay Kundaliya	NR	Uttarakhand Pragatisheel Party	
			Gopal Mani	NR	Independent	
			Barhm Dev Jha	NR	Independent	
			Sanjay Goyal	NR	Independent	
			Sardar Khan (Pappu)	NR	Independent	
			Total	09	09	
Category-2-Candidates who failed to lodge their accounts of election expenses						
Sl. NO	District	No.& Name Of PC	Name of Candidate	Returned or Non-returned	Party Affiliation/ Independent	Remarks
1	Dehradun	01-Tehri Garhwal	Anu Pant	NR	Uttarakhand Kranti Dal (Democratic)	
			Gautam Singh Bisht	NR	Sarva vikas Party	
			Jay Prakash Upadhyay	NR	Uttarakhand Kranti Dal	
			Madhu Shah	NR	Independent	
			Total	04	04	
Category-3- Candidates who failed to lodge their accounts within prescribed time of 30 days of declaration of results						
Sl. NO	District	No.& Name Of PC	Name of Candidate	Returned or Non-returned	Party Affiliation/ Independent	Remarks (mention (i) last date for submission of accounts, (ii) date of submission of accounts and the number of days delayed, (iii) reason for late submission if obtained by the DEO)
1	Dehradun	01-Tehri Garhwal	Nil	Nil	Nil	
			Total	Nil	Nil	

Category-4- Candidates who failed to lodge their accounts of election expenses in the manner required under law (cases other than Category 2&3)						
Sl. No	District	No.& Name Of PC	Name of Candidate	Returned or Non-returned	Party Affiliation/ Independent	Remarks (mention the deficiencies found and amount of understatement any)
1	Dehradun	01-Tehri Garhwal	Daulat Kunwar	NR	Independent	Election Expenditure not incurred through Bank Account
			Brij bhushan Karanwal	NR	Independent	
			Total	02	02	
Category-5- Candidates who failed to lodge their accounts in time and manner (cases other than Category 2,3& 4)						
Sl. No	District	No.& Name Of PC	Name of Candidate	Returned or Non-returned	Party Affiliation/ Independent	Remarks (mention (i) last date for submission of accounts, (ii) date of submission of accounts and the for late submission if obtained by the DEO, (iv) the deficiencies found and amount of understatement, if any)
1	Dehradun	01-Tehri Garhwal	Nil	Nil	Nil	
			Total	Nil	Nil	


 Chief Electoral Officer
 Uttarakhand.

elecexpmonmech@gmail.com

निर्वाचन/अति आवश्यक

प्रेषक,

जिला निर्वाचन अधिकारी एवं रिटर्निंग आफिसर,
01-टिहरी गढ़वाल संसदीय निर्वाचन क्षेत्र।

सेवा में,

सचिव एवं मुख्य निर्वाचन अधिकारी,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

पत्र सं०-158/निर्वाचन-2019,

दिनांक 22 जून 2019

विषय :- लोक सभा सामान्य निर्वाचन, 2019 में निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों के निर्वाचन व्यय लेखे की संक्षिप्त एवं संवीक्षा रिपोर्ट के निर्धारित अनुलग्नक-21 पर दाखिल करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक सचिव, भारत निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली के पत्र संख्या-76/अनुदेश/2015/ईईपीएस/खण्ड-चौदह, दिनांक 02 जून 2016 के अनुपालन में लोक सभा सामान्य निर्वाचन, 2019 में 01-टिहरी गढ़वाल संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों के निर्वाचन व्यय लेखे की संक्षिप्त एवं संवीक्षा रिपोर्ट, माननीय व्यय प्रेक्षक की टिप्पणी सहित अनुलग्नक-21 पर सलग्न कर प्रेषित की जा रही है।

कृपया प्राप्ति स्वीकार करने का कष्ट करें।

सलग्नक :-

यथोपरि।

भवदीय,

(सं० 040 मुसगशन)

जिला निर्वाचन अधिकारी एवं रिटर्निंग आफिसर,
01-टिहरी गढ़वाल संसदीय निर्वाचन क्षेत्र।

अभ्यर्थियों द्वारा निर्वाचन व्यय लेखा को दाखिल करने पर प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र के लिये जिला निर्वाचन अधिकारी की संक्षिप्त रिपोर्ट

(क) संसदीय निर्वाचन क्षेत्र की संख्या एवं नाम	: 01-टिहरी गढ़वाल संसदीय निर्वाचन क्षेत्र
(ख) निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की कुल संख्या	: 15 (पन्द्रह)
(ग) राज्य एवं जिला	: उत्तराखण्ड
(घ) निर्वाचन के परिणामों की घोषणा की तारीख	: 23 मई 2019
(ङ) लेखा दाखिल करने की अन्तिम तारीख	: 22 जून 2019
(च) निर्वाचित अभ्यर्थी का नाम	: माला राज्य लक्ष्मी शाह

1	2	3	4	5	6	7	8	9		10		11
क्र.सं.	अभ्यर्थी का नाम एवं दलीय सम्बद्धता	लेखा दाखिल करने की नियत तारीख	अभ्यर्थी द्वारा लेखा दाखिल करने की तारीख	क्या निर्धारित फॉर्मेट में दाखिल किया है (हाँ या नहीं)	क्या विधि द्वारा अपेक्षित तरीके से दाखिल है (हाँ या नहीं)	अभ्यर्थी/एजेण्ट द्वारा उपगत/प्राधिकृत व्यय का कुल योग (जैसा कि सार विवरण के भाग II में उल्लिखित है)	क्या जिला निर्वाचन अधिकारी व्यय की सभी मदों के प्रति अभ्यर्थी द्वारा दिखायी गयी धनराशि से सहमत है (डीईओ की संवीक्षा रिपोर्ट यथा : अनुलंघनक-ग 3 के बिन्दु सं०-22 के समान होनी चाहिये)	दल द्वारा किया गया कुल व्यय (जैसा कि सार विवरण के भाग III में निर्दिष्ट है)	प्रत्येक राजनैतिक दल द्वारा अभ्यर्थी को नकद या बैंक रूप में दी गयी एकमुश्त धनराशि	राजनैतिक दल द्वारा किसी वस्तु रूप में किये गये अन्य व्यय का कुल योग	अन्य/संस्थाओं के द्वारा उपगत कुल खर्च जैसा कि सार विवरण के भाग III में निर्दिष्ट है)	व्यय प्रसक की टिप्पणी
✓ 1.	प्रीतम सिंह, इंडियन नेशनल कांग्रेस	22 जून 2019	20 जून 2019	हाँ	हाँ	40,23,417.00	हाँ	50,00,000.	शून्य	51,000.00	शून्य	—
✓ 2.	माला राज्य लक्ष्मी शाह, भारतीय जनता पार्टी	22 जून 2019	21 जून 2019	हाँ	हाँ	55,90,454.00	हाँ	25,00,000.	शून्य	शून्य	शून्य	—
✓ 3.	राजेन्द्र पुरोहित, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया (मार्क्सवादी)	22 जून 2019	18 जून 2019	हाँ	हाँ	5,96,242.00	हाँ	2,00,000.	शून्य	1,63,319.00	शून्य	—
✓ 4.	सत्यपाल, बहुजन समाज पार्टी	22 जून 2019	21 जून 2019	हाँ	हाँ	2,29,757.00	हाँ	शून्य	शून्य	1,01,000.00	शून्य	शून्य
5. /	अनु पन्त, उत्तराखण्ड कान्ति दल (डेमोक्रेटिक)	22 जून 2019	नहीं, अभ्यर्थी द्वारा अपना निर्वाचन व्यय लेखा दाखिल नहीं किया गया।	अभ्यर्थी द्वारा अपना निर्वाचन व्यय लेखा दाखिल नहीं किया गया।	अभ्यर्थी द्वारा अपना निर्वाचन व्यय लेखा दाखिल नहीं किया गया।	अभ्यर्थी द्वारा अपना निर्वाचन व्यय लेखा दाखिल नहीं किया गया।	अभ्यर्थी द्वारा अपना निर्वाचन व्यय लेखा दाखिल नहीं किया गया।	नहीं, अभ्यर्थी द्वारा अपना निर्वाचन व्यय लेखा दाखिल नहीं किया गया।	नहीं, अभ्यर्थी द्वारा अपना निर्वाचन व्यय लेखा दाखिल नहीं किया गया।	नहीं, अभ्यर्थी द्वारा अपना निर्वाचन व्यय लेखा दाखिल नहीं किया गया।	नहीं, अभ्यर्थी द्वारा अपना निर्वाचन व्यय लेखा दाखिल नहीं किया गया।	नहीं, अभ्यर्थी द्वारा अपना निर्वाचन व्यय लेखा दाखिल नहीं किया गया।

1	2	3	4	5	6	7	8	9		10		11
क्र०सं०	अभ्यर्थी का नाम एवं दलीय सम्बद्धता	लेखा दाखिल करने की नियत तारीख	अभ्यर्थी द्वारा लेखा दाखिल करने की तारीख	क्या निर्धारित फार्मेट में दाखिल किया है (हाँ या नहीं)	क्या विधि द्वारा अपेक्षित तरीके से दाखिल है (हाँ या नहीं)	अभ्यर्थी/एजेण्ट द्वारा उपगत/प्राधिकृत व्यय का कुल योग (जैसा कि सार विवरण के भाग II में उल्लिखित है)	क्या जिला निर्वाचन अधिकारी व्यय की सभी मदों के प्रति अभ्यर्थी द्वारा दिखायी गयी धनराशि से सहमत है (डीईओ की संवीक्षा रिपोर्ट यथा : अनुलग्नक-ग 3 के बिन्दु सं०-22 के समान होनी चाहिये)	दल द्वारा किया गया कुल व्यय (जैसा कि सार विवरण के भाग III में निर्दिष्ट है)		अन्य/संस्थाओं के द्वारा उपगत कुल खर्च जैसा कि सार विवरण के भाग III में निर्दिष्ट है)		व्यय प्रेसक की टिप्पणी
								प्रत्येक राजनैतिक दल द्वारा अभ्यर्थी को नकद या बैंक रूप में दी गयी एकमुश्त धनराशि	राजनैतिक दल द्वारा किसी वस्तु रूप में किये गये अन्य व्यय का कुल योग	अभ्यर्थी को दी गयी नकदी/ बैंक में निहित एकमुश्त धनराशि (और दाताओं के नाम का उल्लेख करें)	अभ्यर्थी के लिये वस्तु रूप में उपगत अन्य व्यय का सकल योग	
6.	गौतम सिंह बिष्ट, सर्व विकास पार्टी	22 जून 2019	नहीं, अभ्यर्थी द्वारा अपना निर्वाचन व्यय लेखा दाखिल नहीं किया गया।	नहीं, अभ्यर्थी द्वारा अपना निर्वाचन व्यय लेखा दाखिल नहीं किया गया।	नहीं, अभ्यर्थी द्वारा अपना निर्वाचन व्यय लेखा दाखिल नहीं किया गया।	नहीं, अभ्यर्थी द्वारा अपना निर्वाचन व्यय लेखा दाखिल नहीं किया गया।	नहीं, अभ्यर्थी द्वारा अपना निर्वाचन व्यय लेखा दाखिल नहीं किया गया।	नहीं, अभ्यर्थी द्वारा अपना निर्वाचन व्यय लेखा दाखिल नहीं किया गया।	नहीं, अभ्यर्थी द्वारा अपना निर्वाचन व्यय लेखा दाखिल नहीं किया गया।	नहीं, अभ्यर्थी द्वारा अपना निर्वाचन व्यय लेखा दाखिल नहीं किया गया।	नहीं, अभ्यर्थी द्वारा अपना निर्वाचन व्यय लेखा दाखिल नहीं किया गया।	नहीं, अभ्यर्थी द्वारा अपना निर्वाचन व्यय लेखा दाखिल नहीं किया गया।
7.	जय प्रकाश उपाध्याय, उत्तराखण्ड कान्ति दल	22 जून 2019	नहीं, अभ्यर्थी द्वारा अपना निर्वाचन व्यय लेखा दाखिल नहीं किया गया।	अभ्यर्थी द्वारा अपना निर्वाचन व्यय लेखा दाखिल नहीं किया गया।	अभ्यर्थी द्वारा अपना निर्वाचन व्यय लेखा दाखिल नहीं किया गया।	अभ्यर्थी द्वारा अपना निर्वाचन व्यय लेखा दाखिल नहीं किया गया।	अभ्यर्थी द्वारा अपना निर्वाचन व्यय लेखा दाखिल नहीं किया गया।	अभ्यर्थी द्वारा अपना निर्वाचन व्यय लेखा दाखिल नहीं किया गया।	अभ्यर्थी द्वारा अपना निर्वाचन व्यय लेखा दाखिल नहीं किया गया।	अभ्यर्थी द्वारा अपना निर्वाचन व्यय लेखा दाखिल नहीं किया गया।	अभ्यर्थी द्वारा अपना निर्वाचन व्यय लेखा दाखिल नहीं किया गया।	अभ्यर्थी द्वारा अपना निर्वाचन व्यय लेखा दाखिल नहीं किया गया।
8.	(सीए) संजय कुण्डलिया, उत्तराखण्ड प्रगतिशील पार्टी	22 जून 2019	18 जून 2019	हाँ	हाँ	54,060.00.00	हाँ	27,760.00	शून्य	शून्य	शून्य	---
9.	गोपाल मणी, निर्दलीय	22 जून 2019	20 जून 2019	हाँ	हाँ	34,33,579.00	हाँ	शून्य	शून्य	35,93,100.00	शून्य	---
10.	दौलत कुंवर, निर्दलीय	22 जून 2019	21 जून 2019	हाँ	हाँ	5,10,862.00	हाँ	शून्य	शून्य	4,55,000.00	शून्य	अभ्यर्थी द्वारा बैंक एकाउन्ट से व्यय नहीं किया गया।
11.	बृज भूषण करनवाल, निर्दलीय	22 जून 2019	20 जून 2019	हाँ	हाँ	1,37,450.00	हाँ	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	बैंक एकाउन्ट से व्यय नहीं किया गया।

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
असं.	अभ्यर्थी का नाम एवं दलीय सम्बद्धता	लेखा दाखिल करने की नियत तारीख	अभ्यर्थी द्वारा लेखा दाखिल करने की तारीख	क्या निर्धारित फार्मेट में दाखिल किया है (हाँ या नहीं)	क्या विधि द्वारा अपेक्षित तरीके से दाखिल है (हाँ या नहीं)	अभ्यर्थी/एजेण्ट द्वारा उपगत/प्राधिकृत व्यय का कुल योग (जैसा कि सार विवरण के भाग II में उल्लिखित है)	क्या जिला निर्वाचन अधिकारी व्यय की सभी मदों के प्रति अभ्यर्थी द्वारा दिखायी गयी धनराशि से सहमत है (डीईओ की संवीक्षा रिपोर्ट यथा : अनुलंगनक-ग 3 के बिन्दु सं0-22 के समान होनी चाहिये)	दल द्वारा किया गया कुल व्यय (जैसा कि सार विवरण के भाग III में निर्दिष्ट है)	अन्य/संस्थाओं के द्वारा उपगत कुल खर्च जैसा कि सार विवरण के भाग III में निर्दिष्ट है)		व्यय प्रेक्षक की टिप्पणी	
								प्रत्येक राजनैतिक दल द्वारा अभ्यर्थी को नकद या बैंक रूप में दी गयी एकमुश्त धनराशि	राजनैतिक दल द्वारा किसी वस्तु रूप में किये गये अन्य व्यय का कुल योग	अभ्यर्थी को दी गयी नकदी/ बैंक में निहित एकमुश्त धनराशि (और दाताओं के नाम का उल्लेख करें)	अभ्यर्थी के लिये वस्तु रूप में उपगत अन्य व्यय का सकल योग	
12.	ब्रह्मदेव झा, निर्दलीय	22 जून 2019	14 जून 2019	हाँ	हाँ	1,73,681.00	हाँ	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	—
13.	मधु शाह, निर्दलीय	22 जून 2019	नहीं, अभ्यर्थी द्वारा अपना निर्वाचन व्यय लेखा दाखिल नहीं किया गया।	अभ्यर्थी द्वारा अपना निर्वाचन व्यय लेखा दाखिल नहीं किया गया।	अभ्यर्थी द्वारा अपना निर्वाचन व्यय लेखा दाखिल नहीं किया गया।	अभ्यर्थी द्वारा अपना निर्वाचन व्यय लेखा दाखिल नहीं किया गया।	अभ्यर्थी द्वारा अपना निर्वाचन व्यय लेखा दाखिल नहीं किया गया।	अभ्यर्थी द्वारा अपना निर्वाचन व्यय लेखा दाखिल नहीं किया गया।	अभ्यर्थी द्वारा अपना निर्वाचन व्यय लेखा दाखिल नहीं किया गया।	अभ्यर्थी द्वारा अपना निर्वाचन व्यय लेखा दाखिल नहीं किया गया।	अभ्यर्थी द्वारा अपना निर्वाचन व्यय लेखा दाखिल नहीं किया गया।	अभ्यर्थी द्वारा अपना निर्वाचन व्यय लेखा दाखिल नहीं किया गया।
14.	संजय गोयल, निर्दलीय	22 जून 2019	21 जून 2019	हाँ	हाँ	2,07,213.00	हाँ	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	—
15.	सरदार खान (पप्पू), निर्दलीय	22 जून 2019	21 जून 2019	हाँ	हाँ	80,848.00	हाँ	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	—

दिनांक 22 जून 2019

व्यय प्रेक्षक की टिप्पणी, यदि कोई है तो : —
दिनांक 24 जून 2019

शून्य

(महेश चन्द्र भारद्वाज)
व्यय प्रेक्षक,
R-17370

(एसके0मुरगेशन)
जिला निर्वाचन अधिकारी एवं रिटर्निंग आफिसर,
01-टिहरी गढ़वाल संसदीय निर्वाचन क्षेत्र।

(एसके0 जफरुल हक तनवीर)
व्यय प्रेक्षक,
R-19337

जिला निर्वाचन अधिकारी, देहरादून की संक्षिप्त रिपोर्ट में अभ्यर्थी की क्रम संख्या-01

रा. का नाम - उत्तराखण्ड जिला - देहरादून निर्वाचन - लोक सभा सामान्य निर्वाचन, 2019

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के अन्तर्गत अभ्यर्थी के निर्वाचन व्यय पर जिला अधिकारी की संविदा रिपोर्ट

क्र.सं०	विवरण	जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा भरा जाये
1	2	3
1.	अभ्यर्थी का नाम तथा पता	प्रीतम सिंह, ग्राम-बृनाड बास्तिल, पो0ओ0 बृनाड, तहसील-त्यूनी, देहरादून।
2.	पार्टी सम्बद्धता, यदि कोई है	इंडियन नेशनल कांग्रेस
3.	संसदीय निर्वाचन क्षेत्र की संख्या तथा नाम	01-टिहरी गढ़वाल संसदीय निर्वाचन क्षेत्र
4.	निर्वाचित अभ्यर्थी का नाम	माला राज्य लक्ष्मी शाह
5.	परिणाम की घोषणा की तारीख	23 मई 2019
6.	लेखा-समाधान की तारीख	18 जून 2019
7.	(i) क्या अभ्यर्थी या उसके एजेंट को लेखा-समाधान की बैठक की तारीख के बारे में लिखित रूप में सूचित किया गया था। (ii) क्या उसने या उसके एजेंट ने बैठक में भाग लिया है।	(i) हाँ (ii) हाँ
8.	क्या अभ्यर्थी द्वारा लेखा-समाधान बैठक के बाद सभी त्रुटियों का लेखा-समाधान किया गया है। (हाँ या नहीं) (यदि नहीं तो वे त्रुटियाँ स्तम्भ संख्या-19 में दिखायी जायें जिनका समाधान नहीं हो पाया)	हाँ
9.	लेखा दाखिल करने के लिये निर्धारित अंतिम तारीख	22 जून 2019
10.	क्या अभ्यर्थी ने अपना लेखा दाखिल किया है।	हाँ
11.	यदि अभ्यर्थी ने लेखा दाखिल किया है तो अभ्यर्थी द्वारा लेखा दाखिल करने की तारीख :- (i) मूल लेखा (ii) लेखा-समाधान बैठक के बाद संशोधित लेखा।	20 जून 2019 शून्य
12.	क्या लेखा समय पर दाखिल किया गया	हाँ
12क	अगर, समय पर दाखिल नहीं किया है तो, विलम्ब की अवधि	शून्य दिन
13.	यदि लेखा दाखिल नहीं हुआ है या समय पर दाखिल नहीं किया गया है, तो डीईओ ने अभ्यर्थी से स्पष्टीकरण मांगा। यदि नहीं तो कारण बतायें।	शून्य
14.	अभ्यर्थी द्वारा दिया गया स्पष्टीकरण, यदि कोई हो	शून्य
14क	अभ्यर्थी द्वारा दिये गये स्पष्टीकरण, यदि कोई हो, पर डीईओ की टिप्पणियाँ	शून्य
15.	सार विवरण के भाग-II में अभ्यर्थी द्वारा सूचित सभी निर्वाचन व्यय का सकल योग	रुपयें 40,23,417.00
16.	जिला निर्वाचन अधिकारी की राय में, क्या अभ्यर्थी द्वारा निर्वाचन व्यय का लेखा, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 और निर्वाचन का संचालन नियम, 1961 द्वारा अपेक्षित तरीके से दाखिल किया गया है	हाँ
17.	यदि नहीं, तो विवरण सहित निम्नलिखित त्रुटियों का कृपया उल्लेख करें। (i) दिन प्रतिदिन के लेखा रजिस्टर, रोकड़ रजिस्टर, बैंक रजिस्टर, सार विवरण को शामिल करते हुये क्या निर्वाचन व्यय रजिस्टर दाखिल किया गया है	हाँ

	(ii) क्या अभ्यर्थी द्वारा शपथ-पत्र में विधिवत् रूप से शपथ प्रस्तुत की गयी है।	हाँ				
	(iii) क्या निर्वाचन व्यय की मदों के सन्दर्भ में अपेक्षित बाऊचर प्रस्तुत किये गये हैं।	हाँ				
	(iv) क्या निर्वाचन के लिये अलग से बैंक एकाउन्ट खोला गया है।	हाँ				
	(v) क्या सभी व्यय (छोटे-मोटे व्ययों को छोड़कर) बैंक खाते के माध्यम से किये गये हैं।	हाँ				
18.	(i) जिला निर्वाचन अधिकारी ने त्रुटि को सुधारने के लिये क्या अभ्यर्थी को नोटिस जारी किया।	हाँ				
	(ii) क्या अभ्यर्थी ने त्रुटि को सुधारा	हाँ				
	(iii) उपर्युक्त पर जिला निर्वाचन अधिकारी की टिप्पणी जैसे कि त्रुटियों को सुधारा गया है या नहीं।	हाँ				
19.	क्या अभ्यर्थी द्वारा सूचित निर्वाचन व्ययों की मदें, छाया प्रेक्षण रजिस्टर और साक्ष्य फोल्डर में दिखाये गये व्ययों के साथ मेल खाती है। यदि नहीं तो निम्नलिखित का उल्लेख करें,	हाँ				
	व्यय की मदें	तारीख	छाया प्रेक्षण रजिस्टर की पृष्ठ संख्या	छाया प्रेक्षण रजिस्टर/ साक्ष्य फोल्डर के अनुसार धनराशि का उल्लेख करें	अभ्यर्थी द्वारा दाखिल किये गये लेखा के अनुसार धनराशि	अभ्यर्थी द्वारा न्यूनोक्त धनराशि
1	2	3	4	5	6	7
(i)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
(ii)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
(iii)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
(iv)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
(v)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	योग			शून्य	शून्य	शून्य
20.	क्या अभ्यर्थी ने प्रेक्षक/रिटर्निंग अधिकारी/प्राधिकृत व्यक्तियों द्वारा प्रचार-प्रसार की अवधि के दौरान 03 बार निरीक्षण हेतु लेखांकन निर्वाचन व्यय का अपना रजिस्टर प्रस्तुत किया	हाँ				
21.	यदि जिला निर्वाचन अधिकारी ऊपर संदर्भित पंक्ति संख्या 19 के सामने उल्लिखित तथ्यों से सहमत नहीं हैं तो निम्नलिखित विवरण दें :-					
	(i) क्या जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा नोटिस की गई त्रुटियाँ, प्रचार-प्रसार अवधि के दौरान या लेखा-समाधान बैठक के दौरान अभ्यर्थी के ध्यान में लाई गई	हाँ				
	(ii) यदि हाँ, तो अंग्रेजी (अनुवाद सहित यदि वह क्षेत्रीय भाषा में है तो, विसंगतियों से संबंधित जारी किये सभी नोटिसों की प्रतियाँ सलग्न करें और नोटिस की तिथि का उल्लेख करें)	हाँ, नोटिस दिनांक 01 अप्रैल 2019, 06 अप्रैल 2019 एवं 09 अप्रैल 2019				
	(iii) क्या अभ्यर्थी ने किसी भी नोटिस का उत्तर दिया ?	हाँ				
	(iv) यदि हाँ, तो कृपया प्राप्त ऐसे स्पष्टीकरण की प्रतियाँ (यदि वे क्षेत्रीय भाषा में है तो उनके अंग्रेजी अनुवाद सहित) सलग्न करें और उत्तर की तारीख का उल्लेख करें।	हाँ				
	(v) अभ्यर्थी के स्पष्टीकरण पर जिलाधिकारी अधिकारी की टिप्पणी/प्रेक्षण।	त्रुटियों का निराकरण किया गया।				

22.	क्या जिला निर्वाचन अधिकारी सहमत हैं कि अभ्यर्थी द्वारा किये गये खर्चों की ठीक-ठीक रिपोर्टिंग की गयी है। व्यय सही रूप से सूचित किये गये हैं। (डीईओ की संक्षिप्त रिपोर्ट के स्तम्भ संख्या 8 के समान होना चाहिये) दिनांक 22 जून 2019	हॉ (एसके0 रुग्शेन) जिला निर्वाचन अधिकारी एवं रिटर्निंग आफिसर, 01-टिहरी गढ़वाल संसदीय निर्वाचन क्षेत्र।
23.	व्यय प्रेक्षक की टिप्पणी, यदि कोई है तो दिनांक 24 जून 2019 (महेश चन्द्र भारद्वाज) व्यय प्रेक्षक R-17370	शून्य 24.06.2019. (एसके0 जफरुल हक तनवीर) व्यय प्रेक्षक R-19337

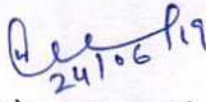
जिला निर्वाचन अधिकारी, देहरादून की संक्षिप्त रिपोर्ट में अभ्यर्थी की क्रम संख्या-02

का नाम - उत्तराखण्ड जिला - देहरादून निर्वाचन - लोक सभा सामान्य निर्वाचन, 2019

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के अन्तर्गत अभ्यर्थी के निर्वाचन व्यय पर जिला अधिकारी की संविज्ञा रिपोर्ट

क्र०सं०	विवरण	जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा भरा जाये
1	2	3
1.	अभ्यर्थी का नाम तथा पता	माला राज्य लक्ष्मी शाह, राजमहल, नरेन्द्रनगर, टिहरी गढ़वाल।
2.	पार्टी सम्बद्धता, यदि कोई है	भारतीय जनता पार्टी
3.	संसदीय निर्वाचन क्षेत्र की संख्या तथा नाम	01-टिहरी गढ़वाल संसदीय निर्वाचन क्षेत्र
4.	निर्वाचित अभ्यर्थी का नाम	माला राज्य लक्ष्मी शाह
5.	परिणाम की घोषणा की तारीख	23 मई 2019
6.	लेखा-समाधान की तारीख	18 जून 2019
7.	(i) क्या अभ्यर्थी या उसके एजेंट को लेखा-समाधान की बैठक की तारीख के बारे में लिखित रूप में सूचित किया गया था। (ii) क्या उसने या उसके एजेंट ने बैठक में भाग लिया है।	(i) हाँ (ii) हाँ
8.	क्या अभ्यर्थी द्वारा लेखा-समाधान बैठक के बाद सभी त्रुटियों का लेखा-समाधान किया गया है। (हाँ या नहीं) (यदि नहीं तो वे त्रुटियाँ स्तम्भ संख्या-19 में दिखायी जायें जिनका समाधान नहीं हो पाया)	हाँ
9.	लेखा दाखिल करने के लिये निर्धारित अंतिम तारीख	22 जून 2019
10.	क्या अभ्यर्थी ने अपना लेखा दाखिल किया है।	हाँ
11.	यदि अभ्यर्थी ने लेखा दाखिल किया है तो अभ्यर्थी द्वारा लेखा दाखिल करने की तारीख :- (i) मूल लेखा (ii) लेखा-समाधान बैठक के बाद संशोधित लेखा।	21 जून 2019 शून्य
12.	क्या लेखा समय पर दाखिल किया गया	हाँ
12क	अगर, समय पर दाखिल नहीं किया है तो, विलम्ब की अवधि	शून्य दिन
13.	यदि लेखा दाखिल नहीं हुआ है या समय पर दाखिल नहीं किया गया है, तो डीईओ ने अभ्यर्थी से स्पष्टीकरण मांगा। यदि नहीं तो कारण बतायें।	शून्य
14.	अभ्यर्थी द्वारा दिया गया स्पष्टीकरण, यदि कोई हो	शून्य
14क	अभ्यर्थी द्वारा दिये गये स्पष्टीकरण, यदि कोई हो, पर डीईओ की टिप्पणियाँ	शून्य
15.	सार विवरण के भाग-II में अभ्यर्थी द्वारा सूचित सभी निर्वाचन व्यय का सकल योग	रुपयें 55,90,454.00
16.	जिला निर्वाचन अधिकारी की राय में, क्या अभ्यर्थी द्वारा निर्वाचन व्यय का लेखा, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 और निर्वाचन का संचालन नियम, 1961 द्वारा अपेक्षित तरीके से दाखिल किया गया है	हाँ
17.	यदि नहीं, तो विवरण सहित निम्नलिखित त्रुटियों का कृपया उल्लेख करें। (i) दिन प्रतिदिन के लेखा रजिस्टर, रोकड़ रजिस्टर, बैंक रजिस्टर, सार विवरण को शामिल करते हुये क्या निर्वाचन व्यय रजिस्टर दाखिल किया गया है	हाँ

	(ii)	क्या अभ्यर्थी द्वारा शपथ-पत्र में विधिवत् रूप से शपथ प्रस्तुत की गयी है।	हाँ																																																
	(iii)	क्या निर्वाचन व्यय की मदों के सन्दर्भ में अपेक्षित बाऊचर प्रस्तुत किये गये हैं।	हाँ																																																
	(iv)	क्या निर्वाचन के लिये अलग से बैंक एकाउन्ट खोला गया है।	हाँ																																																
	(v)	क्या सभी व्यय (छोटे-मोटे व्ययों को छोड़कर) बैंक खाते के माध्यम से किये गये हैं।	हाँ																																																
18.	(i)	जिला निर्वाचन अधिकारी ने त्रुटि को सुधारने के लिये क्या अभ्यर्थी को नोटिस जारी किया।	हाँ																																																
	(ii)	क्या अभ्यर्थी ने त्रुटि को सुधारा	हाँ																																																
	(iii)	उपर्युक्त पर जिला निर्वाचन अधिकारी की टिप्पणी जैसे कि त्रुटियों को सुधारा गया या नहीं।	हाँ																																																
19.		क्या अभ्यर्थी द्वारा सूचित निर्वाचन व्ययों की मदें, छाया प्रेक्षण रजिस्टर और साक्ष्य फोल्डर में दिखाये गये व्ययों के साथ मेल खाती है। यदि नहीं तो निम्नलिखित का उल्लेख करें,	हाँ																																																
		<table><tr><th>व्यय की मदें</th><th>तरीख</th><th>छाया प्रेक्षण रजिस्टर की पृष्ठ संख्या</th><th>छाया प्रेक्षण रजिस्टर/ साक्ष्य फोल्डर के अनुसार धनराशि का उल्लेख करें</th><th>अभ्यर्थी द्वारा दाखिल किये गये लेखा के अनुसार धनराशि</th><th>अभ्यर्थी द्वारा न्यूनोक्त धनराशि</th></tr><tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>7</td></tr><tr><td>(i)</td><td>शून्य</td><td>शून्य</td><td>शून्य</td><td>शून्य</td><td>शून्य</td></tr><tr><td>(ii)</td><td>शून्य</td><td>शून्य</td><td>शून्य</td><td>शून्य</td><td>शून्य</td></tr><tr><td>(iii)</td><td>शून्य</td><td>शून्य</td><td>शून्य</td><td>शून्य</td><td>शून्य</td></tr><tr><td>(iv)</td><td>शून्य</td><td>शून्य</td><td>शून्य</td><td>शून्य</td><td>शून्य</td></tr><tr><td>(v)</td><td>शून्य</td><td>शून्य</td><td>शून्य</td><td>शून्य</td><td>शून्य</td></tr><tr><td></td><td colspan="3">योग</td><td>शून्य</td><td>शून्य</td></tr></table>	व्यय की मदें	तरीख	छाया प्रेक्षण रजिस्टर की पृष्ठ संख्या	छाया प्रेक्षण रजिस्टर/ साक्ष्य फोल्डर के अनुसार धनराशि का उल्लेख करें	अभ्यर्थी द्वारा दाखिल किये गये लेखा के अनुसार धनराशि	अभ्यर्थी द्वारा न्यूनोक्त धनराशि	1	2	3	4	5	7	(i)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	(ii)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	(iii)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	(iv)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	(v)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य		योग			शून्य	शून्य	
व्यय की मदें	तरीख	छाया प्रेक्षण रजिस्टर की पृष्ठ संख्या	छाया प्रेक्षण रजिस्टर/ साक्ष्य फोल्डर के अनुसार धनराशि का उल्लेख करें	अभ्यर्थी द्वारा दाखिल किये गये लेखा के अनुसार धनराशि	अभ्यर्थी द्वारा न्यूनोक्त धनराशि																																														
1	2	3	4	5	7																																														
(i)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य																																														
(ii)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य																																														
(iii)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य																																														
(iv)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य																																														
(v)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य																																														
	योग			शून्य	शून्य																																														
20.		क्या अभ्यर्थी ने प्रेक्षक/रिटर्निंग अधिकारी/प्राधिकृत व्यक्तियों द्वारा प्रचार-प्रसार की अवधि के दौरान 03 बार निरीक्षण हेतु लेखांकन निर्वाचन व्यय का अपना रजिस्टर प्रस्तुत किया	हाँ																																																
21.		यदि जिला निर्वाचन अधिकारी ऊपर संदर्भित पंक्ति संख्या 19 के सामने उल्लिखित तथ्यों से सहमत नहीं हैं तो निम्नलिखित विवरण दें :-																																																	
	(i)	क्या जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा नोटिस की गई त्रुटियाँ, प्रचार-प्रसार अवधि के दौरान या लेखा-समाधान बैठक के दौरान अभ्यर्थी के ध्यान में लाई गई	हाँ																																																
	(ii)	यदि हाँ, तो अंग्रेजी (अनुवाद सहित यदि वह क्षेत्रीय भाषा में है तो, विसंगतियों से संबंधित जारी किये सभी नोटिसों की प्रतियाँ सलग्न करें और नोटिस की तिथि का उल्लेख करें)	हाँ, नोटिस दिनांक 01 अप्रैल 2019, 06 अप्रैल 2019 एवं 09 अप्रैल 2019																																																
	(iii)	क्या अभ्यर्थी ने किसी भी नोटिस का उत्तर दिया ?	हाँ																																																
	(iv)	यदि हाँ, तो कृपया प्राप्त ऐसे स्पष्टीकरण की प्रतियाँ (यदि वे क्षेत्रीय भाषा में है तो उनके अंग्रेजी अनुवाद सहित) सलग्न करें और उत्तर की तारीख का उल्लेख करें।	हाँ																																																
	(v)	अभ्यर्थी के स्पष्टीकरण पर जिलाधिकारी अधिकारी की टिप्पणी/प्रेक्षण।	त्रुटियों का निराकरण कर लिया गया।																																																

22.	क्या जिला निर्वाचन अधिकारी सहमत हैं कि अभ्यर्थी द्वारा किये गये खर्चों की ठीक-ठीक रिपोर्टिंग की गयी है। व्यय सही रूप से सूचित किये गये है। (डीईओ की संक्षिप्त रिपोर्ट के स्तम्भ संख्या 8 के समान होना चाहिये) दिनांक 22 जून 2019	हाँ  (एसके0 मुरुगेशन) जिला निर्वाचन अधिकारी एवं रिटर्निंग आफिसर, 01-टिहरी गढ़वाल संसदीय निर्वाचन क्षेत्र।
23.	व्यय प्रेक्षक की टिप्पणी, यदि कोई है तो दिनांक 24 जून 2019  24.06.19 (महेश चन्द्र भारद्वाज) व्यय प्रेक्षक R-17370	शून्य  24.06.2019. (एसके0 जफरुल हक तनवीर) व्यय प्रेक्षक R-19337

जिला निर्वाचन अधिकारी, देहरादून की संक्षिप्त रिपोर्ट में अभ्यर्थी की कम संख्या-03

का नाम - उत्तराखण्ड जिला - देहरादून निर्वाचन - लोक सभा सामान्य निर्वाचन, 2019

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के अन्तर्गत अभ्यर्थी के निर्वाचन व्यय पर जिला अधिकारी की संविक्षा रिपोर्ट

क्र०सं०	विवरण	जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा भरा जाये
1	2	3
1.	अभ्यर्थी का नाम तथा पता	राजेन्द्र पुरोहित, ग्राम एवं पोस्ट-कारबारी ग्रान्ट, देहरादून।
2.	पार्टी सम्बद्धता, यदि कोई है	कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इण्डिया (मार्क्ससिस्ट)
3.	संसदीय निर्वाचन क्षेत्र की संख्या तथा नाम	01-टिहरी गढ़वाल संसदीय निर्वाचन क्षेत्र
4.	निर्वाचित अभ्यर्थी का नाम	माला राज्य लक्ष्मी शाह
5.	परिणाम की घोषणा की तारीख	23 मई 2019
6.	लेखा-समाधान की तारीख	18 जून 2019
7.	(i) क्या अभ्यर्थी या उसके एजेन्ट को लेखा-समाधान की बैठक की तारीख के बारे में लिखित रूप में सूचित किया गया था। (ii) क्या उसने या उसके एजेन्ट ने बैठक में भाग लिया है।	(i) हाँ (ii) हाँ
8.	क्या अभ्यर्थी द्वारा लेखा-समाधान बैठक के बाद सभी त्रुटियों का लेखा-समाधान किया गया है। (हाँ या नहीं) (यदि नहीं तो वे त्रुटियाँ स्तम्भ संख्या-19 में दिखायी जायें जिनका समाधान नहीं हो पाया)	हाँ
9.	लेखा दाखिल करने के लिये निर्धारित अंतिम तारीख	22 जून 2019
10.	क्या अभ्यर्थी ने अपना लेखा दाखिल किया है।	हाँ
11.	यदि अभ्यर्थी ने लेखा दाखिल किया है तो अभ्यर्थी द्वारा लेखा दाखिल करने की तारीख :- (i) मूल लेखा (ii) लेखा-समाधान बैठक के बाद संशोधित लेखा।	18 जून 2019 शून्य
12.	क्या लेखा समय पर दाखिल किया गया	हाँ
12क	अगर, समय पर दाखिल नहीं किया है तो, विलम्ब की अवधि	शून्य दिन
13.	यदि लेखा दाखिल नहीं हुआ है या समय पर दाखिल नहीं किया गया है, तो डीईओ ने अभ्यर्थी से स्पष्टीकरण मांगा। यदि नहीं तो कारण बतायें।	शून्य
14.	अभ्यर्थी द्वारा दिया गया स्पष्टीकरण, यदि कोई हो	शून्य
14क	अभ्यर्थी द्वारा दिये गये स्पष्टीकरण, यदि कोई हो, पर डीईओ की टिप्पणियाँ	शून्य
15.	सार विवरण के भाग-II में अभ्यर्थी द्वारा सूचित सभी निर्वाचन व्यय का सकल योग	रुपयें 5,96,242.00
16.	जिला निर्वाचन अधिकारी की राय में, क्या अभ्यर्थी द्वारा निर्वाचन व्यय का लेखा, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 और निर्वाचन का संचालन नियम, 1961 द्वारा अपेक्षित तरीके से दाखिल किया गया है	हाँ
17.	यदि नहीं, तो विवरण सहित निम्नलिखित त्रुटियों का कृपया उल्लेख करें। (i) दिन प्रतिदिन के लेखा रजिस्टर, रोकड़ रजिस्टर, बैंक रजिस्टर, सार विवरण को शामिल करते हुये क्या निर्वाचन व्यय रजिस्टर दाखिल किया गया है	हाँ

	(ii) क्या अभ्यर्थी द्वारा शपथ-पत्र में विधिवत् रूप से शपथ प्रस्तुत की गयी है।	हाँ				
	(iii) क्या निर्वाचन व्यय की मदों के सन्दर्भ में अपेक्षित बाऊचर प्रस्तुत किये गये हैं।	हाँ				
	(iv) क्या निर्वाचन के लिये अलग से बैंक एकाउन्ट खोला गया है।	हाँ				
	(v) क्या सभी व्यय (छोटे-मोटे व्ययों को छोड़कर) बैंक खाते के माध्यम से किये गये हैं।	हाँ				
18.	(i) जिला निर्वाचन अधिकारी ने त्रुटि को सुधारने के लिये क्या अभ्यर्थी को नोटिस जारी किया।	हाँ				
	(ii) क्या अभ्यर्थी ने त्रुटि को सुधारा	हाँ				
	(iii) उपर्युक्त पर जिला निर्वाचन अधिकारी की टिप्पणी जैसे कि त्रुटियों को सुधारा गया या नहीं।	हाँ				
19.	क्या अभ्यर्थी द्वारा सूचित निर्वाचन व्ययों की मदें, छाया प्रेक्षण रजिस्टर और साक्ष्य फोल्डर में दिखाये गये व्ययों के साथ मेल खाती है। यदि नहीं तो निम्नलिखित का उल्लेख करें,	हाँ				
	व्यय की मदें	तारीख	छाया प्रेक्षण रजिस्टर की पृष्ठ संख्या	छाया प्रेक्षण रजिस्टर/साक्ष्य फोल्डर के अनुसार धनराशि का उल्लेख करें	अभ्यर्थी द्वारा दाखिल किये गये लेखा के अनुसार धनराशि	अभ्यर्थी द्वारा न्यूनोक्त धनराशि
1	2	3	4	5	6	7
(i)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
(ii)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
(iii)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
(iv)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
(v)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	योग			शून्य	शून्य	शून्य
20.	क्या अभ्यर्थी ने प्रेक्षक/रिटर्निंग अधिकारी/प्राधिकृत व्यक्तियों द्वारा प्रचार-प्रसार की अवधि के दौरान 03 बार निरीक्षण हेतु लेखांकन निर्वाचन व्यय का अपना रजिस्टर प्रस्तुत किया	हाँ				
21.	यदि जिला निर्वाचन अधिकारी ऊपर संदर्भित पंक्ति संख्या 19 के सामने उल्लिखित तथ्यों से सहमत नहीं हैं तो निम्नलिखित विवरण दें :-					
	(i) क्या जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा नोटिस की गई त्रुटियाँ, प्रचार-प्रसार अवधि के दौरान या लेखा-समाधान बैठक के दौरान अभ्यर्थी के ध्यान में लाई गई	हाँ, नोटिस दिनांक 01 अप्रैल 2019, 06 अप्रैल 2019 एवं 09 अप्रैल 2019				
	(ii) यदि हाँ, तो अंग्रेजी (अनुवाद सहित यदि वह क्षेत्रीय भाषा में है तो, विसंगतियों से संबंधित जारी किये सभी नोटिसों की प्रतियाँ सलग्न करें और नोटिस की तिथि का उल्लेख करें)	हाँ				
	(iii) क्या अभ्यर्थी ने किसी भी नोटिस का उत्तर दिया ?	हाँ				
	(iv) यदि हाँ, तो कृपया प्राप्त ऐसे स्पष्टीकरण की प्रतियाँ (यदि वे क्षेत्रीय भाषा में है तो उनके अंग्रेजी अनुवाद सहित) सलग्न करें और उत्तर की तारीख का उल्लेख करें।	हाँ				
	(v) अभ्यर्थी के स्पष्टीकरण पर जिलाधिकारी अधिकारी की टिप्पणी/प्रेक्षण।	त्रुटियों का निराकरण किया गया।				

22.	क्या जिला निर्वाचन अधिकारी सहमत हैं कि अभ्यर्थी द्वारा किये गये खर्चों की ठीक-ठीक रिपोर्टिंग की गयी है। व्यय सही रूप से सूचित किये गये हैं। (डीईओ की संक्षिप्त रिपोर्ट के स्तम्भ संख्या 8 के समान होना चाहिये) दिनांक 22 जून 2019	हॉ (एसके0 गुरुगेशन) जिला निर्वाचन अधिकारी एवं रिटर्निंग आफिसर, 01-टिहरी गढ़वाल संसदीय निर्वाचन क्षेत्र।
23.	व्यय प्रेक्षक की टिप्पणी, यदि कोई है तो दिनांक 24 जून 2019 (महेश चन्द्र भारद्वाज) व्यय प्रेक्षक R-17370	शून्य (एसके0 जफरुल हक तनवीर) व्यय प्रेक्षक R-19337 24.06.2019

जिला निर्वाचन अधिकारी, देहरादून की संक्षिप्त रिपोर्ट में अभ्यर्थी की कम संख्या-04

का नाम - उत्तराखण्ड जिला - देहरादून निर्वाचन - लोक सभा सामान्य निर्वाचन, 2019

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के अन्तर्गत अभ्यर्थी के निर्वाचन व्यय पर जिला अधिकारी की संविदा रिपोर्ट		
क्र०सं०	विवरण	जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा भरा जाये
1	2	3
1.	अभ्यर्थी का नाम तथा पता	सत्यपाल, मकान नं०-41, चकशाह नगर, पो०ओ०-डिफैन्स कालौनी, देहरादून
2.	पार्टी सम्बद्धता, यदि कोई है	बहुजन समाज पार्टी
3.	संसदीय निर्वाचन क्षेत्र की संख्या तथा नाम	01-टिहरी गढ़वाल संसदीय निर्वाचन क्षेत्र
4.	निर्वाचित अभ्यर्थी का नाम	माला राज्य लक्ष्मी शाह
5.	परिणाम की घोषणा की तारीख	23 मई 2019
6.	लेखा-समाधान की तारीख	18 जून 2019
7.	(i) क्या अभ्यर्थी या उसके एजेन्ट को लेखा-समाधान की बैठक की तारीख के बारे में लिखित रूप में सूचित किया गया था। (ii) क्या उसने या उसके एजेन्ट ने बैठक में भाग लिया है।	(i) हाँ (ii) हाँ
8.	क्या अभ्यर्थी द्वारा लेखा-समाधान बैठक के बाद सभी त्रुटियों का लेखा-समाधान किया गया है। (हाँ या नहीं) (यदि नहीं तो वे त्रुटियों स्तम्भ संख्या-19 में दिखायी जायें जिनका समाधान नहीं हो पाया)	हाँ
9.	लेखा दाखिल करने के लिये निर्धारित अंतिम तारीख	22 जून 2019
10.	क्या अभ्यर्थी ने अपना लेखा दाखिल किया है।	
11.	यदि अभ्यर्थी ने लेखा दाखिल किया है तो अभ्यर्थी द्वारा लेखा दाखिल करने की तारीख :- (i) मूल लेखा (ii) लेखा-समाधान बैठक के बाद संशोधित लेखा।	21 जून 2019 शून्य
12.	क्या लेखा समय पर दाखिल किया गया	हाँ
12क	अगर, समय पर दाखिल नहीं किया है तो, विलम्ब की अवधि	शून्य दिन
13.	यदि लेखा दाखिल नहीं हुआ है या समय पर दाखिल नहीं किया गया है, तो डीईओ ने अभ्यर्थी से स्पष्टीकरण मांगा। यदि नहीं तो कारण बतायें।	शून्य
14.	अभ्यर्थी द्वारा दिया गया स्पष्टीकरण, यदि कोई हो	शून्य
14क	अभ्यर्थी द्वारा दिये गये स्पष्टीकरण, यदि कोई हो, पर डीईओ की टिप्पणियां	शून्य
15.	सार विवरण के भाग-II में अभ्यर्थी द्वारा सूचित सभी निर्वाचन व्यय का सकल योग	रुपयें 2,29,757.00
16.	जिला निर्वाचन अधिकारी की राय में, क्या अभ्यर्थी द्वारा निर्वाचन व्यय का लेखा, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 और निर्वाचन का संचालन नियम, 1961 द्वारा अपेक्षित तरीके से दाखिल किया गया है	हाँ
17.	यदि नहीं, तो विवरण सहित निम्नलिखित त्रुटियों का कृपया उल्लेख करें। (i) दिन प्रतिदिन के लेखा रजिस्टर, रोकड़ रजिस्टर, बैंक रजिस्टर, सार विवरण को शामिल करते हुये क्या निर्वाचन व्यय रजिस्टर दाखिल किया गया है	हाँ

	(ii) क्या अभ्यर्थी द्वारा शपथ-पत्र में विधिवत् रूप से शपथ प्रस्तुत की गयी है।	हाँ				
	(iii) क्या निर्वाचन व्यय की मदों के सन्दर्भ में अपेक्षित बाऊचर प्रस्तुत किये गये है।	हाँ				
	(iv) क्या निर्वाचन के लिये अलग से बैंक एकाउन्ट खोला गया है।	हाँ				
	(v) क्या सभी व्यय (छोटे-मोटे व्ययों को छोड़कर) बैंक खाते के माध्यम से किये गये है।	हाँ				
18.	(i) जिला निर्वाचन अधिकारी ने त्रुटि को सुधारने के लिये क्या अभ्यर्थी को नोटिस जारी किया।	हाँ				
	(ii) क्या अभ्यर्थी ने त्रुटि को सुधारा	हाँ				
	(iii) उपर्युक्त पर जिला निर्वाचन अधिकारी की टिप्पणी जैसे कि त्रुटियों को सुधारा गया या नहीं।	हाँ				
19.	क्या अभ्यर्थी द्वारा सूचित निर्वाचन व्ययों की मदें, छाया प्रेक्षण रजिस्टर और साक्ष्य फोल्डर में दिखाये गये व्ययों के साथ मेल खाती है। यदि नहीं तो निम्नलिखित का उल्लेख करें,	हाँ				
	व्यय की मदें	तरीख				
	छाया प्रेक्षण रजिस्टर की पृष्ठ संख्या	छाया प्रेक्षण रजिस्टर/ साक्ष्य फोल्डर के अनुसार धनराशि का उल्लेख करें				
	अभ्यर्थी द्वारा दाखिल किये गये लेखा के अनुसार धनराशि	अभ्यर्थी द्वारा न्यूनोक्त धनराशि				
1	2	3	4	5	6	7
(i)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
(ii)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
(iii)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
(iv)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
(v)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	योग			शून्य	शून्य	शून्य
20.	क्या अभ्यर्थी ने प्रेक्षक/रिटर्निंग अधिकारी/प्राधिकृत व्यक्तियों द्वारा प्रचार-प्रसार की अवधि के दौरान 03 बार निरीक्षण हेतु लेखांकन निर्वाचन व्यय का अपना रजिस्टर प्रस्तुत किया	नहीं, दो बार निर्वाचन व्यय लेखा प्रस्तुत किया।				
21.	यदि जिला निर्वाचन अधिकारी ऊपर संदर्भित पंक्ति संख्या 19 के सामने उल्लिखित तथ्यों से सहमत नहीं हैं तो निम्नलिखित विवरण दें :-					
	(i) क्या जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा नोटिस की गई त्रुटियों, प्रचार-प्रसार अवधि के दौरान या लेखा-समाधान बैठक के दौरान अभ्यर्थी के ध्यान में लाई गई	हाँ				
	(ii) यदि हाँ, तो अंग्रेजी (अनुवाद सहित यदि वह क्षेत्रीय भाषा में है तो, विसंगतियों से संबंधित जारी किये सभी नोटिसों की प्रतियाँ सलग्न करें और नोटिस की तिथि का उल्लेख करें)	हाँ, दिनांक 06 अप्रैल 2019 एवं 09 अप्रैल 2019				
	(iii) क्या अभ्यर्थी ने किसी भी नोटिस का उत्तर दिया ?	हाँ				
	(iv) यदि हाँ, तो कृपया प्राप्त ऐसे स्पष्टीकरण की प्रतियाँ (यदि वे क्षेत्रीय भाषा में है तो उनके अंग्रेजी अनुवाद सहित) सलग्न करें और उत्तर की तारीख का उल्लेख करें।	हाँ				
	(v) अभ्यर्थी के स्पष्टीकरण पर जिलाधिकारी अधिकारी की टिप्पणी/प्रेक्षण।	त्रुटियों का निराकरण किया।				

22.	क्या जिला निर्वाचन अधिकारी सहमत हैं कि अभ्यर्थी द्वारा किये गये खर्चों की ठीक-ठीक रिपोर्टिंग की गयी है। व्यय सही रूप से सूचित किये गये हैं। (डीईओ की संक्षिप्त रिपोर्ट के स्तम्भ संख्या 8 के समान होना चाहिये) दिनांक 23 जून 2019	हॉ (एस0एमुसगेशन) जिला निर्वाचन अधिकारी एवं रिटर्निंग आफिसर, 01-टिहरी गढ़वाल संसदीय निर्वाचन क्षेत्र।
23.	व्यय प्रेक्षक की टिप्पणी, यदि कोई है तो दिनांक 24 जून 2019 (महेश चन्द्र भारद्वाज) व्यय प्रेक्षक R-17370	शून्य (एसके0 जफरुल हक तनवीर) व्यय प्रेक्षक R-19337

जिला निर्वाचन अधिकारी, देहरादून की संक्षिप्त रिपोर्ट में अभ्यर्थी की क्रम संख्या-05

का नाम - उत्तराखण्ड जिला - देहरादून निर्वाचन - लोक सभा सामान्य निर्वाचन, 2019

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के अन्तर्गत अभ्यर्थी के निर्वाचन व्यय पर जिला अधिकारी की संविधा रिपोर्ट

क्र०सं०	विवरण	जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा भरा जाये
1	2	3
1.	अभ्यर्थी का नाम तथा पता	अनु पन्त, 1/24 माता मन्दिर कालौनी, अजबपुर कलॉ, देहरादून।
2.	पार्टी सम्बद्धता, यदि कोई है	उत्तराखण्ड कान्ति दल (डेमोक्रेटिक)
3.	संसदीय निर्वाचन क्षेत्र की संख्या तथा नाम	01-टिहरी गढ़वाल संसदीय निर्वाचन क्षेत्र
4.	निर्वाचित अभ्यर्थी का नाम	माला राज्य लक्ष्मी शाह
5.	परिणाम की घोषणा की तारीख	23 मई 2019
6.	लेखा-समाधान की तारीख	18 जून 2019
7.	(i) क्या अभ्यर्थी या उसके एजेन्ट को लेखा-समाधान की बैठक की तारीख के बारे में लिखित रूप में सूचित किया गया था। (ii) क्या उसने या उसके एजेन्ट ने बैठक में भाग लिया है।	(i) हाँ (ii) नहीं
8.	क्या अभ्यर्थी द्वारा लेखा-समाधान बैठक के बाद सभी त्रुटियों का लेखा-समाधान किया गया है। (हाँ या नहीं) (यदि नहीं तो वे त्रुटियाँ स्तम्भ संख्या-19 में दिखायी जायें जिनका समाधान नहीं हो पाया)	---
9.	लेखा दाखिल करने के लिये निर्धारित अंतिम तारीख	22 जून 2019
10.	क्या अभ्यर्थी ने अपना लेखा दाखिल किया है।	नहीं, अभ्यर्थी द्वारा अपना निर्वाचन व्यय लेखा दाखिल नहीं किया गया।
11.	यदि अभ्यर्थी ने लेखा दाखिल किया है तो अभ्यर्थी द्वारा लेखा दाखिल करने की तारीख :- (i) मूल लेखा (ii) लेखा-समाधान बैठक के बाद संशोधित लेखा।	नहीं, अभ्यर्थी द्वारा अपना निर्वाचन व्यय लेखा दाखिल नहीं किया गया। नहीं, अभ्यर्थी द्वारा अपना निर्वाचन व्यय लेखा दाखिल नहीं किया गया।
12.	क्या लेखा समय पर दाखिल किया गया	नहीं, अभ्यर्थी द्वारा अपना निर्वाचन व्यय लेखा दाखिल नहीं किया गया।
12क	अगर, समय पर दाखिल नहीं किया है तो, विलम्ब की अवधि	नहीं, अभ्यर्थी द्वारा अपना निर्वाचन व्यय लेखा दाखिल नहीं किया गया।
13.	यदि लेखा दाखिल नहीं हुआ है या समय पर दाखिल नहीं किया गया है, तो डीईओ ने अभ्यर्थी से स्पष्टीकरण मांगा। यदि नहीं तो कारण बतायें।	नोटिस जारी किया गया।
14.	अभ्यर्थी द्वारा दिया गया स्पष्टीकरण, यदि कोई हो	अभ्यर्थी द्वारा अपना निर्वाचन व्यय लेखा दाखिल नहीं किया गया।
14क	अभ्यर्थी द्वारा दिये गये स्पष्टीकरण, यदि कोई हो, पर डीईओ की टिप्पणियाँ	अभ्यर्थी द्वारा अपना निर्वाचन व्यय लेखा दाखिल नहीं किया गया।
15.	सार विवरण के भाग-II में अभ्यर्थी द्वारा सूचित सभी निर्वाचन व्यय का सकल योग	अभ्यर्थी द्वारा अपना निर्वाचन व्यय लेखा दाखिल नहीं किया गया।
16.	जिला निर्वाचन अधिकारी की राय में, क्या अभ्यर्थी द्वारा निर्वाचन व्यय का लेखा, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 और निर्वाचन का संचालन नियम, 1961 द्वारा अपेक्षित तरीके से दाखिल किया गया है	अभ्यर्थी द्वारा अपना निर्वाचन व्यय लेखा दाखिल नहीं किया गया।
17.	यदि नहीं, तो विवरण सहित निम्नलिखित त्रुटियों का कृपया उल्लेख करें। (i) दिन प्रतिदिन के लेखा रजिस्टर, रोकड़ रजिस्टर, बैंक रजिस्टर, सार विवरण को शामिल करते हुये क्या निर्वाचन व्यय रजिस्टर दाखिल किया गया है	अभ्यर्थी द्वारा अपना निर्वाचन व्यय लेखा दाखिल नहीं किया गया।

	(ii) क्या अभ्यर्थी द्वारा शपथ-पत्र में विधिवत् रूप से शपथ प्रस्तुत की गयी है।	अभ्यर्थी द्वारा अपना निर्वाचन व्यय लेखा दाखिल नहीं किया गया।				
	(iii) क्या निर्वाचन व्यय की मदों के सन्दर्भ में अपेक्षित बाऊचर प्रस्तुत किये गये हैं।	अभ्यर्थी द्वारा अपना निर्वाचन व्यय लेखा दाखिल नहीं किया गया।				
	(iv) क्या निर्वाचन के लिये अलग से बैंक एकाउन्ट खोला गया है।	अभ्यर्थी द्वारा अपना निर्वाचन व्यय लेखा दाखिल नहीं किया गया।				
	(v) क्या सभी व्यय (छोटे-मोटे व्ययों को छोड़कर) बैंक खाते के माध्यम से किये गये हैं।	अभ्यर्थी द्वारा अपना निर्वाचन व्यय लेखा दाखिल नहीं किया गया।				
18.	(i) जिला निर्वाचन अधिकारी ने त्रुटि को सुधारने के लिये क्या अभ्यर्थी को नोटिस जारी किया।	अभ्यर्थी द्वारा अपना निर्वाचन व्यय लेखा दाखिल नहीं किया गया।				
	(ii) क्या अभ्यर्थी ने त्रुटि को सुधारा	अभ्यर्थी द्वारा अपना निर्वाचन व्यय लेखा दाखिल नहीं किया गया।				
	(iii) उपर्युक्त पर जिला निर्वाचन अधिकारी की टिप्पणी जैसे कि त्रुटियों को सुधारा गया या नहीं।	अभ्यर्थी द्वारा अपना निर्वाचन व्यय लेखा दाखिल नहीं किया गया।				
19.	क्या अभ्यर्थी द्वारा सूचित निर्वाचन व्ययों की मदें, छाया प्रेक्षण रजिस्टर और साक्ष्य फोल्डर में दिखाये गये व्ययों के साथ मेल खाती है। यदि नहीं तो निम्नलिखित का उल्लेख करें,		अभ्यर्थी द्वारा अपना निर्वाचन व्यय लेखा दाखिल नहीं किया गया।			
	व्यय की मदें	तरीख	छाया प्रेक्षण रजिस्टर की पृष्ठ संख्या	छाया प्रेक्षण रजिस्टर/ साक्ष्य फोल्डर के अनुसार धनराशि का उल्लेख करें	अभ्यर्थी द्वारा दाखिल किये गये लेखा के अनुसार धनराशि	अभ्यर्थी द्वारा न्यूनोक्त धनराशि
1	2	3	4	5	6	7
(i)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
(ii)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
(iii)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
(iv)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
(v)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	योग			शून्य	शून्य	शून्य
20.	क्या अभ्यर्थी ने प्रेक्षक/रिटर्निंग अधिकारी/प्राधिकृत व्यक्तियों द्वारा प्रचार-प्रसार की अवधि के दौरान 03 बार निरीक्षण हेतु लेखांकन निर्वाचन व्यय का अपना रजिस्टर प्रस्तुत किया			नहीं, 01 बार		
21.	यदि जिला निर्वाचन अधिकारी ऊपर संदर्भित पंक्ति संख्या 19 के सामने उल्लिखित तथ्यों से सहमत नहीं हैं तो निम्नलिखित विवरण दें :-					
	(i) क्या जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा नोटिस की गई त्रुटियों, प्रचार-प्रसार अवधि के दौरान या लेखा-समाधान बैठक के दौरान अभ्यर्थी के ध्यान में लाई गई			अभ्यर्थी द्वारा अपना निर्वाचन व्यय लेखा दाखिल नहीं किया गया।		
	(ii) यदि हाँ, तो अंग्रेजी (अनुवाद सहित यदि वह क्षेत्रीय भाषा में है तो, विसंगतियों से संबंधित जारी किये सभी नोटिसों की प्रतियाँ सलग्न करें और नोटिस की तिथि का उल्लेख करें)			अभ्यर्थी द्वारा अपना निर्वाचन व्यय लेखा दाखिल नहीं किया गया।		
	(iii) क्या अभ्यर्थी ने किसी भी नोटिस का उत्तर दिया ?			नहीं		
	(iv) यदि हाँ, तो कृपया प्राप्त ऐसे स्पष्टीकरण की प्रतियाँ (यदि वे क्षेत्रीय भाषा में है तो उनके अंग्रेजी अनुवाद सहित) सलग्न करें और उत्तर की तारीख का उल्लेख करें।			अभ्यर्थी द्वारा अपना निर्वाचन व्यय लेखा दाखिल नहीं किया गया।		
	(v) अभ्यर्थी के स्पष्टीकरण पर जिलाधिकारी अधिकारी की टिप्पणी/प्रेक्षण।			अभ्यर्थी द्वारा अपना निर्वाचन व्यय लेखा दाखिल नहीं किया गया।		

22.	क्या जिला निर्वाचन अधिकारी सहमत हैं कि अभ्यर्थी द्वारा किये गये खर्चों की ठीक-ठीक रिपोर्टिंग की गयी है। व्यय सही रूप से सूचित किये गये हैं। (डीईओ की संक्षिप्त रिपोर्ट के स्तम्भ संख्या 8 के समान होना चाहिये) दिनांक 22 जून 2019	अभ्यर्थी द्वारा अपना निर्वाचन व्यय लेखा दाखिल नहीं किया गया। (एसके0 मुरगेशन) जिला निर्वाचन अधिकारी एवं रिटर्निंग आफिसर, 01-टिहरी गढ़वाल संसदीय निर्वाचन क्षेत्र।
23.	व्यय प्रेक्षक की टिप्पणी, यदि कोई है तो दिनांक 24 जून 2019 (महेश चन्द्र भारद्वाज) व्यय प्रेक्षक R-17370	अभ्यर्थी द्वारा अपना निर्वाचन व्यय लेखा दाखिल नहीं किया गया। 24.06.2019 (एसके0 जफरुल हक तनवीर) व्यय प्रेक्षक R-19337

जिला निर्वाचन अधिकारी, देहरादून की संक्षिप्त रिपोर्ट में अभ्यर्थी की कम संख्या-06

र का नाम - उत्तराखण्ड जिला - देहरादून निर्वाचन - लोक सभा सामान्य निर्वाचन, 2019

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के अन्तर्गत अभ्यर्थी के निर्वाचन व्यय पर जिला अधिकारी की संविधा रिपोर्ट

क्र०सं०	विवरण	जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा भरा जाये
1	2	3
1.	अभ्यर्थी का नाम तथा पता	गौतम सिंह बिष्ट, 510, छिद्रवाला, रायवाला, देहरादून।
2.	पार्टी सम्बद्धता, यदि कोई है	सर्व विकास पार्टी
3.	संसदीय निर्वाचन क्षेत्र की संख्या तथा नाम	01-टिहरी गढ़वाल संसदीय निर्वाचन क्षेत्र
4.	निर्वाचित अभ्यर्थी का नाम	माला राज्य लक्ष्मी शाह
5.	परिणाम की घोषणा की तारीख	23 मई 2019
6.	लेखा-समाधान की तारीख	18 जून 2019
7.	(i) क्या अभ्यर्थी या उसके एजेंट को लेखा-समाधान की बैठक की तारीख के बारे में लिखित रूप में सूचित किया गया था। (ii) क्या उसने या उसके एजेंट ने बैठक में भाग लिया है।	(i) हाँ (ii) नहीं
8.	क्या अभ्यर्थी द्वारा लेखा-समाधान बैठक के बाद सभी त्रुटियों का लेखा-समाधान किया गया है। (हाँ या नहीं) (यदि नहीं तो वे त्रुटियाँ स्तम्भ संख्या-19 में दिखायी जायें जिनका समाधान नहीं हो पाया)	नहीं, अभ्यर्थी द्वारा अपना निर्वाचन व्यय लेखा दाखिल नहीं किया गया।
9.	लेखा दाखिल करने के लिये निर्धारित अंतिम तारीख	22 जून 2019
10.	क्या अभ्यर्थी ने अपना लेखा दाखिल किया है।	नहीं, अभ्यर्थी द्वारा अपना निर्वाचन व्यय लेखा दाखिल नहीं किया गया।
11.	यदि अभ्यर्थी ने लेखा दाखिल किया है तो अभ्यर्थी द्वारा लेखा दाखिल करने की तारीख :- (i) मूल लेखा (ii) लेखा-समाधान बैठक के बाद संशोधित लेखा।	जून 2019 शून्य
12.	क्या लेखा समय पर दाखिल किया गया	हाँ
12क	अगर, समय पर दाखिल नहीं किया है तो, विलम्ब की अवधि	अभ्यर्थी द्वारा अपना निर्वाचन व्यय लेखा दाखिल नहीं किया गया।
13.	यदि लेखा दाखिल नहीं हुआ है या समय पर दाखिल नहीं किया गया है, तो डीईओ ने अभ्यर्थी से स्पष्टीकरण मांगा। यदि नहीं तो कारण बतायें।	नोटिस जारी किया गया।
14.	अभ्यर्थी द्वारा दिया गया स्पष्टीकरण, यदि कोई हो	शून्य
14क	अभ्यर्थी द्वारा दिये गये स्पष्टीकरण, यदि कोई हो, पर डीईओ की टिप्पणियाँ	नहीं, अभ्यर्थी द्वारा अपना निर्वाचन व्यय लेखा दाखिल नहीं किया गया।
15.	सार विवरण के भाग-II में अभ्यर्थी द्वारा सूचित सभी निर्वाचन व्यय का सकल योग	नहीं, अभ्यर्थी द्वारा अपना निर्वाचन व्यय लेखा दाखिल नहीं किया गया।
16.	जिला निर्वाचन अधिकारी की राय में, क्या अभ्यर्थी द्वारा निर्वाचन व्यय का लेखा, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 और निर्वाचन का संचालन नियम, 1961 द्वारा अपेक्षित तरीके से दाखिल किया गया है	नहीं, अभ्यर्थी द्वारा अपना निर्वाचन व्यय लेखा दाखिल नहीं किया गया।
17.	यदि नहीं, तो विवरण सहित निम्नलिखित त्रुटियों का कृपया उल्लेख करें। (i) दिन प्रतिदिन के लेखा रजिस्टर, रोकड़ रजिस्टर, बैंक रजिस्टर, सार विवरण को शामिल करते हुये क्या निर्वाचन व्यय रजिस्टर दाखिल किया गया है	नहीं, अभ्यर्थी द्वारा अपना निर्वाचन व्यय लेखा दाखिल नहीं किया गया।

	(ii) क्या अभ्यर्थी द्वारा शपथ-पत्र में विधिवत् रूप से शपथ प्रस्तुत की गयी है।	नहीं, अभ्यर्थी द्वारा अपना निर्वाचन व्यय लेखा दाखिल नहीं किया गया।				
	(iii) क्या निर्वाचन व्यय की मदों के सन्दर्भ में अपेक्षित बाऊचर प्रस्तुत किये गये हैं।	नहीं, अभ्यर्थी द्वारा अपना निर्वाचन व्यय लेखा दाखिल नहीं किया गया।				
	(iv) क्या निर्वाचन के लिये अलग से बैंक एकाउन्ट खोला गया है।	नहीं, अभ्यर्थी द्वारा अपना निर्वाचन व्यय लेखा दाखिल नहीं किया गया।				
	(v) क्या सभी व्यय (छोटे-मोटे व्ययों को छोड़कर) बैंक खाते के माध्यम से किये गये हैं।	नहीं, अभ्यर्थी द्वारा अपना निर्वाचन व्यय लेखा दाखिल नहीं किया गया।				
18.	(i) जिला निर्वाचन अधिकारी ने त्रुटि को सुधारने के लिये क्या अभ्यर्थी को नोटिस जारी किया। (ii) क्या अभ्यर्थी ने त्रुटि को सुधारा	नहीं, अभ्यर्थी द्वारा अपना निर्वाचन व्यय लेखा दाखिल नहीं किया गया।				
	(iii) उपर्युक्त पर जिला निर्वाचन अधिकारी की टिप्पणी जैसे कि त्रुटियों को सुधारा गया या नहीं।	नहीं, अभ्यर्थी द्वारा अपना निर्वाचन व्यय लेखा दाखिल नहीं किया गया।				
19.	क्या अभ्यर्थी द्वारा सूचित निर्वाचन व्ययों की मदें, छाया प्रेक्षण रजिस्टर और साक्ष्य फोल्डर में दिखाये गये व्ययों के साथ मेल खाती है। यदि नहीं तो निम्नलिखित का उल्लेख करें,	नहीं, अभ्यर्थी द्वारा अपना निर्वाचन व्यय लेखा दाखिल नहीं किया गया।				
	व्यय की मदें	तरीख	छाया प्रेक्षण रजिस्टर की पृष्ठ संख्या	छाया प्रेक्षण रजिस्टर/ साक्ष्य फोल्डर के अनुसार धनराशि का उल्लेख करें	अभ्यर्थी द्वारा दाखिल किये गये लेखा के अनुसार धनराशि	अभ्यर्थी द्वारा न्यूनोक्त धनराशि
1	2	3	4	5	6	7
(i)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
(ii)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
(iii)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
(iv)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
(v)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	योग			शून्य	शून्य	शून्य
20.	क्या अभ्यर्थी ने प्रेक्षक/रिटर्निंग अधिकारी/प्राधिकृत व्यक्तियों द्वारा प्रचार-प्रसार की अवधि के दौरान 03 बार निरीक्षण हेतु लेखांकन निर्वाचन व्यय का अपना रजिस्टर प्रस्तुत किया	नहीं				
21.	यदि जिला निर्वाचन अधिकारी ऊपर संदर्भित पक्ति संख्या 19 के सामने उल्लिखित तथ्यों से सहमत नहीं हैं तो निम्नलिखित विवरण दें :-					
	(i) क्या जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा नोटिस की गई त्रुटियों, प्रचार-प्रसार अवधि के दौरान या लेखा-समाधान बैठक के दौरान अभ्यर्थी के ध्यान में लाई गई	नहीं, अभ्यर्थी द्वारा अपना निर्वाचन व्यय लेखा दाखिल नहीं किया गया।				
	(ii) यदि हाँ, तो अंग्रेजी (अनुवाद सहित यदि वह क्षेत्रीय भाषा में है तो, विसंगतियों से संबंधित जारी किये सभी नोटिसों की प्रतियाँ सलंगन करें और नोटिस की तिथि का उल्लेख करें)	हाँ, दिनांक 01 अप्रैल 2019, 06 अप्रैल 2019 एवं 09 अप्रैल 2019				
	(iii) क्या अभ्यर्थी ने किसी भी नोटिस का उत्तर दिया ?	नहीं				
	(iv) यदि हाँ, तो कृपया प्राप्त ऐसे स्पष्टीकरण की प्रतियाँ (यदि वे क्षेत्रीय भाषा में है तो उनके अंग्रेजी अनुवाद सहित) सलंगन करें और उत्तर की तारीख का उल्लेख करें।	नही				
	(v) अभ्यर्थी के स्पष्टीकरण पर जिलाधिकारी अधिकारी की टिप्पणी/प्रेक्षण।	नहीं, अभ्यर्थी द्वारा अपना निर्वाचन व्यय लेखा दाखिल नहीं किया गया।				

22.	क्या जिला निर्वाचन अधिकारी सहमत हैं कि अभ्यर्थी द्वारा किये गये खर्चों की ठीक-ठीक रिपोर्टिंग की गयी है। व्यय सही रूप से सूचित किये गये हैं। (डीईओ की संक्षिप्त रिपोर्ट के स्तम्भ संख्या 8 के समान होना चाहिये) दिनांक 22 जून 2019	नहीं, अभ्यर्थी द्वारा अपना निर्वाचन व्यय लेखा दाखिल नहीं किया गया। (एसएमएस रुशेशन) जिला निर्वाचन अधिकारी एवं रिटर्निंग आफिसर, 01-टिहरी गढ़वाल संसदीय निर्वाचन क्षेत्र।
23.	व्यय प्रेक्षक की टिप्पणी, यदि कोई है तो दिनांक 24 जून 2019 (महेश चन्द्र भारद्वाज) व्यय प्रेक्षक R-17370	अभ्यर्थी द्वारा अपना निर्वाचन व्यय लेखा दाखिल नहीं किया गया। (एसके0 जफरुल हक तनवीर) व्यय प्रेक्षक R-19337

जिला निर्वाचन अधिकारी, देहरादून की संक्षिप्त रिपोर्ट में अभ्यर्थी की कम संख्या-07

अभ्यर्थी का नाम - उत्तराखण्ड जिला - देहरादून निर्वाचन - लोक सभा सामान्य निर्वाचन, 2019

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के अन्तर्गत अभ्यर्थी के निर्वाचन व्यय पर जिला अधिकारी की संविदा रिपोर्ट

क्र०सं०	विवरण	जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा भरा जायें
1	2	3
1.	अभ्यर्थी का नाम तथा पता	जयप्रकाश उपाध्याय, कन्डौली, राजपुर रोड, देहरादून।
2.	पार्टी सम्बद्धता, यदि कोई है	उत्तराखण्ड कान्ति दल
3.	संसदीय निर्वाचन क्षेत्र की संख्या तथा नाम	01-टिहरी गढ़वाल संसदीय निर्वाचन क्षेत्र
4.	निर्वाचित अभ्यर्थी का नाम	माला राज्य लक्ष्मी शाह
5.	परिणाम की घोषणा की तारीख	23 मई 2019
6.	लेखा-समाधान की तारीख	18 जून 2019
7.	(i) क्या अभ्यर्थी या उसके एजेन्ट को लेखा-समाधान की बैठक की तारीख के बारे में लिखित रूप में सूचित किया गया था। (ii) क्या उसने या उसके एजेन्ट ने बैठक में भाग लिया है।	(i) हाँ (ii) नहीं
8.	क्या अभ्यर्थी द्वारा लेखा-समाधान बैठक के बाद सभी त्रुटियों का लेखा-समाधान किया गया है। (हाँ या नहीं) (यदि नहीं तो वे त्रुटियाँ स्तम्भ संख्या-19 में दिखायी जायें जिनका समाधान नहीं हो पाया)	नहीं, अभ्यर्थी द्वारा अपना निर्वाचन व्यय लेखा दाखिल नहीं किया गया।
9.	लेखा दाखिल करने के लिये निर्धारित अंतिम तारीख	22 जून 2019
10.	क्या अभ्यर्थी ने अपना लेखा दाखिल किया है।	नहीं, अभ्यर्थी द्वारा अपना निर्वाचन व्यय लेखा दाखिल नहीं किया गया।
11.	यदि अभ्यर्थी ने लेखा दाखिल किया है तो अभ्यर्थी द्वारा लेखा दाखिल करने की तारीख :- (i) मूल लेखा (ii) लेखा-समाधान बैठक के बाद संशोधित लेखा।	नहीं, अभ्यर्थी द्वारा अपना निर्वाचन व्यय लेखा दाखिल नहीं किया गया। नहीं, अभ्यर्थी द्वारा अपना निर्वाचन व्यय लेखा दाखिल नहीं किया गया।
12.	क्या लेखा समय पर दाखिल किया गया	नहीं, अभ्यर्थी द्वारा अपना निर्वाचन व्यय लेखा दाखिल नहीं किया गया।
12क	अगर, समय पर दाखिल नहीं किया है तो, विलम्ब की अवधि	नहीं, अभ्यर्थी द्वारा अपना निर्वाचन व्यय लेखा दाखिल नहीं किया गया।
13.	यदि लेखा दाखिल नहीं हुआ है या समय पर दाखिल नहीं किया गया है, तो डीईओ ने अभ्यर्थी से स्पष्टीकरण मांगा। यदि नहीं तो कारण बतायें।	नहीं, अभ्यर्थी द्वारा अपना निर्वाचन व्यय लेखा दाखिल नहीं किया गया।
14.	अभ्यर्थी द्वारा दिया गया स्पष्टीकरण, यदि कोई हो	नोटिस जारी किया गया।
14क	अभ्यर्थी द्वारा दिये गये स्पष्टीकरण, यदि कोई हो, पर डीईओ की टिप्पणियाँ	नहीं, अभ्यर्थी द्वारा अपना निर्वाचन व्यय लेखा दाखिल नहीं किया गया।
15.	सार विवरण के भाग-II में अभ्यर्थी द्वारा सूचित सभी निर्वाचन व्यय का सकल योग	नहीं, अभ्यर्थी द्वारा अपना निर्वाचन व्यय लेखा दाखिल नहीं किया गया।
16.	जिला निर्वाचन अधिकारी की राय में, क्या अभ्यर्थी द्वारा निर्वाचन व्यय का लेखा, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 और निर्वाचन का संचालन नियम, 1961 द्वारा अपेक्षित तरीके से दाखिल किया गया है	नहीं, अभ्यर्थी द्वारा अपना निर्वाचन व्यय लेखा दाखिल नहीं किया गया।
17.	यदि नहीं, तो विवरण सहित निम्नलिखित त्रुटियों का कृपया उल्लेख करें। (i) दिन प्रतिदिन के लेखा रजिस्टर, रोकड़ रजिस्टर, बैंक रजिस्टर, सार विवरण को शामिल करते हुये क्या निर्वाचन व्यय रजिस्टर दाखिल किया गया है	नहीं, अभ्यर्थी द्वारा अपना निर्वाचन व्यय लेखा दाखिल नहीं किया गया।

	(ii) क्या अभ्यर्थी द्वारा शपथ-पत्र में विधिवत् रूप से शपथ प्रस्तुत की गयी है।	नहीं, अभ्यर्थी द्वारा अपना निर्वाचन व्यय लेखा दाखिल नहीं किया गया।				
	(iii) क्या निर्वाचन व्यय की मदों के सन्दर्भ में अपेक्षित बाऊचर प्रस्तुत किये गये हैं।	नहीं, अभ्यर्थी द्वारा अपना निर्वाचन व्यय लेखा दाखिल नहीं किया गया।				
	(iv) क्या निर्वाचन के लिये अलग से बैंक एकाउन्ट खोला गया है।	नहीं, अभ्यर्थी द्वारा अपना निर्वाचन व्यय लेखा दाखिल नहीं किया गया।				
	(v) क्या सभी व्यय (छोटे-मोटे व्ययों को छोड़कर) बैंक खाते के माध्यम से किये गये हैं।	नहीं, अभ्यर्थी द्वारा अपना निर्वाचन व्यय लेखा दाखिल नहीं किया गया।				
18.	(i) जिला निर्वाचन अधिकारी ने त्रुटि को सुधारने के लिये क्या अभ्यर्थी को नोटिस जारी किया। (ii) क्या अभ्यर्थी ने त्रुटि को सुधारा	नहीं, अभ्यर्थी द्वारा अपना निर्वाचन व्यय लेखा दाखिल नहीं किया गया।				
	(iii) उपर्युक्त पर जिला निर्वाचन अधिकारी की टिप्पणी जैसे कि त्रुटियों को सुधारा गया या नहीं।	नहीं, अभ्यर्थी द्वारा अपना निर्वाचन व्यय लेखा दाखिल नहीं किया गया।				
19.	क्या अभ्यर्थी द्वारा सूचित निर्वाचन व्ययों की मदें, छाया प्रेक्षण रजिस्टर और साक्ष्य फोल्डर में दिखाये गये व्ययों के साथ मेल खाती है। यदि नहीं तो निम्नलिखित का उल्लेख करें,	नहीं, अभ्यर्थी द्वारा अपना निर्वाचन व्यय लेखा दाखिल नहीं किया गया।				
	व्यय की मदें	तरीख	छाया प्रेक्षण रजिस्टर की पृष्ठ संख्या	छाया प्रेक्षण रजिस्टर/ साक्ष्य फोल्डर के अनुसार धनराशि का उल्लेख करें	अभ्यर्थी द्वारा दाखिल किये गये लेखा के अनुसार धनराशि	अभ्यर्थी द्वारा न्यूनोक्त धनराशि
1	2	3	4	5	6	7
(i)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
(ii)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
(iii)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
(iv)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
(v)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	योग			शून्य	शून्य	शून्य
20.	क्या अभ्यर्थी ने प्रेक्षक/रिटर्निंग अधिकारी/प्राधिकृत व्यक्तियों द्वारा प्रचार-प्रसार की अवधि के दौरान 03 बार निरीक्षण हेतु लेखांकन निर्वाचन व्यय का अपना रजिस्टर प्रस्तुत किया			नहीं, दो बार		
21.	यदि जिला निर्वाचन अधिकारी ऊपर संदर्भित पंक्ति संख्या 19 के सामने उल्लिखित तथ्यों से सहमत नहीं हैं तो निम्नलिखित विवरण दें :-					
	(i) क्या जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा नोटिस की गई त्रुटियाँ, प्रचार-प्रसार अवधि के दौरान या लेखा-समाधान बैठक के दौरान अभ्यर्थी के ध्यान में लाई गई			हाँ		
	(ii) यदि हाँ, तो अंग्रेजी (अनुवाद सहित यदि वह क्षेत्रीय भाषा में है तो, विसंगतियों से संबंधित जारी किये सभी नोटिसों की प्रतियाँ सलग्न करें और नोटिस की तिथि का उल्लेख करें)			हाँ, दिनांक 01 अप्रैल 2019, 06 अप्रैल 2019 एवं 09 अप्रैल 2019		
	(iii) क्या अभ्यर्थी ने किसी भी नोटिस का उत्तर दिया ?			नहीं		
	(iv) यदि हाँ, तो कृपया प्राप्त ऐसे स्पष्टीकरण की प्रतियाँ (यदि वे क्षेत्रीय भाषा में है तो उनके अंग्रेजी अनुवाद सहित) सलग्न करें और उत्तर की तारीख का उल्लेख करें।			नहीं		
	(v) अभ्यर्थी के स्पष्टीकरण पर जिलाधिकारी अधिकारी की टिप्पणी/प्रेक्षण।			नहीं, अभ्यर्थी द्वारा अपना निर्वाचन व्यय लेखा दाखिल नहीं किया गया।		

22.	तथा जिला निर्वाचन अधिकारी सहमत हैं कि अभ्यर्थी द्वारा किये गये खर्चों की ठीक-ठीक रिपोर्टिंग की गयी है। व्यय सही रूप से सूचित किये गये है। (डीईओ की संक्षिप्त रिपोर्ट के स्तम्भ संख्या 8 के समान होना चाहिये) दिनांक 22 जून 2019	नहीं, अभ्यर्थी द्वारा अपना निर्वाचन व्यय लेखा दाखिल नहीं किया गया। (एसके0 मुरगेशन) जिला निर्वाचन अधिकारी एवं रिटर्निंग आफिसर, 01-टिहरी गढ़वाल संसदीय निर्वाचन क्षेत्र।
23.	व्यय प्रेक्षक की टिप्पणी, यदि कोई है तो दिनांक 24 जून 2019 (महेश चन्द्र भारद्वाज) व्यय प्रेक्षक R-17370	नहीं, अभ्यर्थी द्वारा अपना निर्वाचन व्यय लेखा दाखिल नहीं किया गया। (एसके0 जफरुल हक तनवीर) व्यय प्रेक्षक R-19337

जिला निर्वाचन अधिकारी, देहरादून की संक्षिप्त रिपोर्ट में अभ्यर्थी की कम संख्या-08

संख्या का नाम - उत्तराखण्ड जिला - देहरादून निर्वाचन - लोक सभा सामान्य निर्वाचन, 2019

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के अन्तर्गत अभ्यर्थी के निर्वाचन व्यय पर जिला अधिकारी की संविज्ञा रिपोर्ट

क्र०सं०	विवरण	जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा भरा जाये
1	2	3
1.	अभ्यर्थी का नाम तथा पता	(सीए) संजय कुण्डलिया, 123/1 सालावाला, देहरादून।
2.	पार्टी सम्बद्धता, यदि कोई है	उत्तराखण्ड प्रगतिशील पार्टी
3.	संसदीय निर्वाचन क्षेत्र की संख्या तथा नाम	01-टिहरी गढ़वाल संसदीय निर्वाचन क्षेत्र
4.	निर्वाचित अभ्यर्थी का नाम	माला राज्य लक्ष्मी शाह
5.	परिणाम की घोषणा की तारीख	23 मई 2019
6.	लेखा-समाधान की तारीख	18 जून 2019
7.	(i) क्या अभ्यर्थी या उसके एजेंट को लेखा-समाधान की बैठक की तारीख के बारे में लिखित रूप में सूचित किया गया था। (ii) क्या उसने या उसके एजेंट ने बैठक में भाग लिया है।	(i) हाँ (ii) हाँ
8.	क्या अभ्यर्थी द्वारा लेखा-समाधान बैठक के बाद सभी त्रुटियों का लेखा-समाधान किया गया है। (हाँ या नहीं) (यदि नहीं तो वे त्रुटियाँ स्तम्भ संख्या-19 में दिखायी जायें जिनका समाधान नहीं हो पाया)	हाँ
9.	लेखा दाखिल करने के लिये निर्धारित अंतिम तारीख	22 जून 2019
10.	क्या अभ्यर्थी ने अपना लेखा दाखिल किया है।	
11.	यदि अभ्यर्थी ने लेखा दाखिल किया है तो अभ्यर्थी द्वारा लेखा दाखिल करने की तारीख :- (i) मूल लेखा (ii) लेखा-समाधान बैठक के बाद संशोधित लेखा।	18 जून 2019 शून्य
12.	क्या लेखा समय पर दाखिल किया गया	हाँ
12क	अगर, समय पर दाखिल नहीं किया है तो, विलम्ब की अवधि	शून्य दिन
13.	यदि लेखा दाखिल नहीं हुआ है या समय पर दाखिल नहीं किया गया है, तो डीईओ ने अभ्यर्थी से स्पष्टीकरण मांगा। यदि नहीं तो कारण बतायें।	शून्य
14.	अभ्यर्थी द्वारा दिया गया स्पष्टीकरण, यदि कोई हो	शून्य
14क	अभ्यर्थी द्वारा दिये गये स्पष्टीकरण, यदि कोई हो, पर डीईओ की टिप्पणियाँ	शून्य
15.	सार विवरण के भाग-II में अभ्यर्थी द्वारा सूचित सभी निर्वाचन व्यय का सकल योग	रुपयें 54,060.00
16.	जिला निर्वाचन अधिकारी की राय में, क्या अभ्यर्थी द्वारा निर्वाचन व्यय का लेखा, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 और निर्वाचन का संचालन नियम, 1961 द्वारा अपेक्षित तरीके से दाखिल किया गया है	हाँ
17.	यदि नहीं, तो विवरण सहित निम्नलिखित त्रुटियों का कृपया उल्लेख करें। (i) दिन प्रतिदिन के लेखा रजिस्टर, रोकड़ रजिस्टर, बैंक रजिस्टर, सार विवरण को शामिल करते हुये क्या निर्वाचन व्यय रजिस्टर दाखिल किया गया है	हाँ

	(ii) क्या अभ्यर्थी द्वारा शपथ-पत्र में विधिवत् रूप से शपथ प्रस्तुत की गयी है।	हाँ				
	(iii) क्या निर्वाचन व्यय की मदों के सन्दर्भ में अपेक्षित बाऊचर प्रस्तुत किये गये हैं।	हाँ				
	(iv) क्या निर्वाचन के लिये अलग से बैंक एकाउन्ट खोला गया है।	हाँ				
	(v) क्या सभी व्यय (छोटे-मोटे व्ययों को छोड़कर) बैंक खाते के माध्यम से किये गये हैं।	हाँ				
18.	(i) जिला निर्वाचन अधिकारी ने त्रुटि को सुधारने के लिये क्या अभ्यर्थी को नोटिस जारी किया।	हाँ				
	(ii) क्या अभ्यर्थी ने त्रुटि को सुधारा	हाँ				
	(iii) उपर्युक्त पर जिला निर्वाचन अधिकारी की टिप्पणी जैसे कि त्रुटियों को सुधारा गया या नहीं।	हाँ				
19.	क्या अभ्यर्थी द्वारा सूचित निर्वाचन व्ययों की मदें, छाया प्रेक्षण रजिस्टर और साक्ष्य फोल्डर में दिखाये गये व्ययों के साथ मेल खाती हैं। यदि नहीं तो निम्नलिखित का उल्लेख करें,	हाँ				
	व्यय की मदें	तारीख	छाया प्रेक्षण रजिस्टर की पृष्ठ संख्या	छाया प्रेक्षण रजिस्टर/ साक्ष्य फोल्डर के अनुसार घनराशि का उल्लेख करें	अभ्यर्थी द्वारा दाखिल किये गये लेखा के अनुसार घनराशि	अभ्यर्थी द्वारा न्यूनोक्त घनराशि
1	2	3	4	5	6	7
(i)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
(ii)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
(iii)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
(iv)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
(v)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	योग			शून्य	शून्य	शून्य
20.	क्या अभ्यर्थी ने प्रेक्षक/रिटर्निंग अधिकारी/प्राधिकृत व्यक्तियों द्वारा प्रचार-प्रसार की अवधि के दौरान 03 बार निरीक्षण हेतु लेखांकन निर्वाचन व्यय का अपना रजिस्टर प्रस्तुत किया			नहीं , 02 बार		
21.	यदि जिला निर्वाचन अधिकारी ऊपर संदर्भित पंक्ति संख्या 19 के सामने उल्लिखित तथ्यों से सहमत नहीं हैं तो निम्नलिखित विवरण दें :-					
	(i) क्या जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा नोटिस की गई त्रुटियाँ, प्रचार-प्रसार अवधि के दौरान या लेखा-समाधान बैठक के दौरान अभ्यर्थी के ध्यान में लाई गई			हाँ		
	(ii) यदि हाँ, तो अंग्रेजी (अनुवाद सहित यदि वह क्षेत्रीय भाषा में है तो, विसंगतियों से संबंधित जारी किये सभी नोटिसों की प्रतियाँ सलग्न करें और नोटिस की तिथि का उल्लेख करें)			हाँ, दिनांक 01 अप्रैल 2019, 06 अप्रैल 2019 एवं 09 अप्रैल 2019		
	(iii) क्या अभ्यर्थी ने किसी भी नोटिस का उत्तर दिया ?			हाँ		
	(iv) यदि हाँ, तो कृपया प्राप्त ऐसे स्पष्टीकरण की प्रतियाँ (यदि वे क्षेत्रीय भाषा में है तो उनके अंग्रेजी अनुवाद सहित) सलग्न करें और उत्तर की तारीख का उल्लेख करें।			हाँ		
	(v) अभ्यर्थी के स्पष्टीकरण पर जिलाधिकारी अधिकारी की टिप्पणी/प्रेक्षण।					

22.	क्या जिला निर्वाचन अधिकारी सहमत हैं कि अभ्यर्थी द्वारा किये गये खर्चों की ठीक-ठीक रिपोर्टिंग की गयी है। व्यय सही रूप से सूचित किये गये है। (डीईओ की संक्षिप्त रिपोर्ट के स्तम्भ संख्या 8 के समान होना चाहिये) दिनांक 22 जून 2019	हाँ (एस0एस0 सुगेशन) जिला निर्वाचन अधिकारी एवं रिटर्निंग आफिसर, 01-टिहरी गढ़वाल संसदीय निर्वाचन क्षेत्र।
23.	व्यय प्रेक्षक की टिप्पणी, यदि कोई है तो दिनांक 24 जून 2019 (महेश चन्द्र भारद्वाज) व्यय प्रेक्षक R-17370	शून्य (एसके0 जफरुल हक तनवीर) व्यय प्रेक्षक R-19337

जिला निर्वाचन अधिकारी, देहरादून की संक्षिप्त रिपोर्ट में अभ्यर्थी की क्रम संख्या-09

र का नाम - उत्तराखण्ड जिला - देहरादून निर्वाचन - लोक सभा सामान्य निर्वाचन, 2019

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के अन्तर्गत अभ्यर्थी के निर्वाचन व्यय पर जिला अधिकारी की संविधा रिपोर्ट

क्र०सं०	विवरण	जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा भरा जाये
1	2	3
1.	अभ्यर्थी का नाम तथा पता	गोपाल मणी, ग्राम-तुल्याडा, सुनारगांव, पोस्ट-चिन्याली सौड़, उत्तरकाशी।
2.	पार्टी सम्बद्धता, यदि कोई है	निर्दलीय
3.	संसदीय निर्वाचन क्षेत्र की संख्या तथा नाम	01-टिहरी गढ़वाल संसदीय निर्वाचन क्षेत्र
4.	निर्वाचित अभ्यर्थी का नाम	माला राज्य लक्ष्मी शाह
5.	परिणाम की घोषणा की तारीख	23 मई 2019
6.	लेखा-समाधान की तारीख	18 जून 2019
7.	(i) क्या अभ्यर्थी या उसके एजेन्ट को लेखा-समाधान की बैठक की तारीख के बारे में लिखित रूप में सूचित किया गया था। (ii) क्या उसने या उसके एजेन्ट ने बैठक में भाग लिया है।	(i) हाँ (ii) हाँ
8.	क्या अभ्यर्थी द्वारा लेखा-समाधान बैठक के बाद सभी त्रुटियों का लेखा-समाधान किया गया है। (हाँ या नहीं) (यदि नहीं तो वे त्रुटियाँ स्तम्भ संख्या-19 में दिखायी जायें जिनका समाधान नहीं हो पाया)	हाँ
9.	लेखा दाखिल करने के लिये निर्धारित अंतिम तारीख	22 जून 2019
10.	क्या अभ्यर्थी ने अपना लेखा दाखिल किया है।	
11.	यदि अभ्यर्थी ने लेखा दाखिल किया है तो अभ्यर्थी द्वारा लेखा दाखिल करने की तारीख :- (i) मूल लेखा (ii) लेखा-समाधान बैठक के बाद संशोधित लेखा।	जून 2019 शून्य
12.	क्या लेखा समय पर दाखिल किया गया	हाँ
12क	अगर, समय पर दाखिल नहीं किया है तो, विलम्ब की अवधि	शून्य दिन
13.	यदि लेखा दाखिल नहीं हुआ है या समय पर दाखिल नहीं किया गया है, तो डीईओ ने अभ्यर्थी से स्पष्टीकरण मांगा। यदि नहीं तो कारण बतायें।	शून्य
14.	अभ्यर्थी द्वारा दिया गया स्पष्टीकरण, यदि कोई हो	शून्य
14क	अभ्यर्थी द्वारा दिये गये स्पष्टीकरण, यदि कोई हो, पर डीईओ की टिप्पणियाँ	शून्य
15.	सार विवरण के भाग-II में अभ्यर्थी द्वारा सूचित सभी निर्वाचन व्यय का सकल योग	रुपयें 34,33,579.00
16.	जिला निर्वाचन अधिकारी की राय में, क्या अभ्यर्थी द्वारा निर्वाचन व्यय का लेखा, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 और निर्वाचन का संचालन नियम, 1961 द्वारा अपेक्षित तरीके से दाखिल किया गया है	हाँ
17.	यदि नहीं, तो विवरण सहित निम्नलिखित त्रुटियों का कृपया उल्लेख करें। (i) दिन प्रतिदिन के लेखा रजिस्टर, रोकड़ रजिस्टर, बैंक रजिस्टर, सार विवरण को शामिल करते हुये क्या निर्वाचन व्यय रजिस्टर दाखिल किया गया है	हाँ

	(ii) क्या अभ्यर्थी द्वारा शपथ-पत्र में विधिवत् रूप से शपथ प्रस्तुत की गयी है।	हाँ																																																
	(iii) क्या निर्वाचन व्यय की मदों के सन्दर्भ में अपेक्षित बाऊचर प्रस्तुत किये गये हैं।	हाँ																																																
	(iv) क्या निर्वाचन के लिये अलग से बैंक एकाउन्ट खोला गया है।	हाँ																																																
	(v) क्या सभी व्यय (छोटे-मोटे व्ययों को छोड़कर) बैंक खाते के माध्यम से किये गये हैं।	हाँ																																																
18.	(i) जिला निर्वाचन अधिकारी ने त्रुटि को सुधारने के लिये क्या अभ्यर्थी को नोटिस जारी किया।	हाँ																																																
	(ii) क्या अभ्यर्थी ने त्रुटि को सुधारा	हाँ																																																
	(iii) उपर्युक्त पर जिला निर्वाचन अधिकारी की टिप्पणी जैसे कि त्रुटियों को सुधारा गया या नहीं।	हाँ																																																
19.	क्या अभ्यर्थी द्वारा सूचित निर्वाचन व्ययों की मदें, छाया प्रेक्षण रजिस्टर और साक्ष्य फोल्डर में दिखाये गये व्ययों के साथ मेल खाती है। यदि नहीं तो निम्नलिखित का उल्लेख करें,	हाँ																																																
	<table><tr><th>व्यय की मदें</th><th>तरीख</th><th>छाया प्रेक्षण रजिस्टर की पृष्ठ संख्या</th><th>छाया प्रेक्षण रजिस्टर/ साक्ष्य फोल्डर के अनुसार धनराशि का उल्लेख करें</th><th>अभ्यर्थी द्वारा दाखिल किये गये लेखा के अनुसार धनराशि</th><th>अभ्यर्थी द्वारा न्यूनोक्त धनराशि</th></tr><tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>7</td></tr><tr><td>(i)</td><td>शून्य</td><td>शून्य</td><td>शून्य</td><td>शून्य</td><td>शून्य</td></tr><tr><td>(ii)</td><td>शून्य</td><td>शून्य</td><td>शून्य</td><td>शून्य</td><td>शून्य</td></tr><tr><td>(iii)</td><td>शून्य</td><td>शून्य</td><td>शून्य</td><td>शून्य</td><td>शून्य</td></tr><tr><td>(iv)</td><td>शून्य</td><td>शून्य</td><td>शून्य</td><td>शून्य</td><td>शून्य</td></tr><tr><td>(v)</td><td>शून्य</td><td>शून्य</td><td>शून्य</td><td>शून्य</td><td>शून्य</td></tr><tr><td colspan="3">योग</td><td>शून्य</td><td>शून्य</td><td>शून्य</td></tr></table>	व्यय की मदें	तरीख	छाया प्रेक्षण रजिस्टर की पृष्ठ संख्या	छाया प्रेक्षण रजिस्टर/ साक्ष्य फोल्डर के अनुसार धनराशि का उल्लेख करें	अभ्यर्थी द्वारा दाखिल किये गये लेखा के अनुसार धनराशि	अभ्यर्थी द्वारा न्यूनोक्त धनराशि	1	2	3	4	5	7	(i)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	(ii)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	(iii)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	(iv)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	(v)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	योग			शून्य	शून्य	शून्य	
व्यय की मदें	तरीख	छाया प्रेक्षण रजिस्टर की पृष्ठ संख्या	छाया प्रेक्षण रजिस्टर/ साक्ष्य फोल्डर के अनुसार धनराशि का उल्लेख करें	अभ्यर्थी द्वारा दाखिल किये गये लेखा के अनुसार धनराशि	अभ्यर्थी द्वारा न्यूनोक्त धनराशि																																													
1	2	3	4	5	7																																													
(i)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य																																													
(ii)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य																																													
(iii)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य																																													
(iv)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य																																													
(v)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य																																													
योग			शून्य	शून्य	शून्य																																													
20.	क्या अभ्यर्थी ने प्रेक्षक/रिटर्निंग अधिकारी/प्राधिकृत व्यक्तियों द्वारा प्रचार-प्रसार की अवधि के दौरान 03 बार निरीक्षण हेतु लेखांकन निर्वाचन व्यय का अपना रजिस्टर प्रस्तुत किया	नहीं, 02 बार																																																
21.	यदि जिला निर्वाचन अधिकारी ऊपर संदर्भित पंक्ति संख्या 19 के सामने उल्लिखित तथ्यों से सहमत नहीं हैं तो निम्नलिखित विवरण दें :-																																																	
	(i) क्या जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा नोटिस की गई त्रुटियाँ, प्रचार-प्रसार अवधि के दौरान या लेखा-समाधान बैठक के दौरान अभ्यर्थी के ध्यान में लाई गई	हाँ																																																
	(ii) यदि हाँ, तो अंग्रेजी (अनुवाद सहित यदि वह क्षेत्रीय भाषा में है तो, विसंगतियों से संबंधित जारी किये सभी नोटिसों की प्रतियाँ सलग्न करें और नोटिस की तिथि का उल्लेख करें)	हाँ, दिनांक 01 अप्रैल 2019, 06 अप्रैल 2019 एवं 09 अप्रैल 2019																																																
	(iii) क्या अभ्यर्थी ने किसी भी नोटिस का उत्तर दिया ?	हाँ																																																
	(iv) यदि हाँ, तो कृपया प्राप्त ऐसे स्पष्टीकरण की प्रतियाँ (यदि वे क्षेत्रीय भाषा में है तो उनके अंग्रेजी अनुवाद सहित) सलग्न करें और उत्तर की तारीख का उल्लेख करें।	हाँ																																																
	(v) अभ्यर्थी के स्पष्टीकरण पर जिलाधिकारी अधिकारी की टिप्पणी/प्रेक्षण।																																																	

22.	क्या जिला निर्वाचन अधिकारी सहमत हैं कि अभ्यर्थी द्वारा किये गये खर्चों की ठीक-ठीक रिपोर्टिंग की गयी है। व्यय सही रूप से सूचित किये गये है। (डीईओ की संक्षिप्त रिपोर्ट के स्तम्भ संख्या 8 के समान होना चाहिये) दिनांक 22 जून 2019	हाँ (एस0 प्रमोशन) जिला निर्वाचन अधिकारी एवं रिटर्निंग आफिसर, 01-टिहरी गढ़वाल संसदीय निर्वाचन क्षेत्र।
23.	व्यय प्रेक्षक की टिप्पणी, यदि कोई है तो दिनांक 24 जून 2019 (महेश चन्द्र भारद्वाज) व्यय प्रेक्षक R-17370	शून्य 24.06.2019 (एसके0 जफरुल हक तनवीर) व्यय प्रेक्षक R-19337

जिला निर्वाचन अधिकारी, देहरादून की संक्षिप्त रिपोर्ट में अभ्यर्थी की कम संख्या-10

राज्य का नाम - उत्तराखण्ड जिला - देहरादून निर्वाचन - लोक सभा सामान्य निर्वाचन, 2019

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के अन्तर्गत अभ्यर्थी के निर्वाचन व्यय पर जिला अधिकारी की संविधा रिपोर्ट

क्र०सं०	विवरण	जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा भरा जाये
1	2	3
1.	अभ्यर्थी का नाम तथा पता	दौलत कुंवर, ग्राम-बिजनू खत, अठगाँव, तहसील चकराता, देहरादून।
2.	पार्टी सम्बद्धता, यदि कोई है	निर्दलीय।
3.	संसदीय निर्वाचन क्षेत्र की संख्या तथा नाम	01-टिहरी गढ़वाल संसदीय निर्वाचन क्षेत्र
4.	निर्वाचित अभ्यर्थी का नाम	माला राज्य लक्ष्मी शाह
5.	परिणाम की घोषणा की तारीख	23 मई 2019
6.	लेखा-समाधान की तारीख	18 जून 2019
7.	(i) क्या अभ्यर्थी या उसके एजेंट को लेखा-समाधान की बैठक की तारीख के बारे में लिखित रूप में सूचित किया गया था। (ii) क्या उसने या उसके एजेंट ने बैठक में भाग लिया है।	(i) हाँ (ii) हाँ
8.	क्या अभ्यर्थी द्वारा लेखा-समाधान बैठक के बाद सभी त्रुटियों का लेखा-समाधान किया गया है। (हाँ या नहीं) (यदि नहीं तो वे त्रुटियाँ स्तम्भ संख्या-19 में दिखायी जायें जिनका समाधान नहीं हो पाया)	हाँ
9.	लेखा दाखिल करने के लिये निर्धारित अंतिम तारीख	22 जून 2019
10.	क्या अभ्यर्थी ने अपना लेखा दाखिल किया है।	
11.	यदि अभ्यर्थी ने लेखा दाखिल किया है तो अभ्यर्थी द्वारा लेखा दाखिल करने की तारीख :- (i) मूल लेखा (ii) लेखा-समाधान बैठक के बाद संशोधित लेखा।	जून 2019 शून्य
12.	क्या लेखा समय पर दाखिल किया गया	हाँ
12क	अगर, समय पर दाखिल नहीं किया है तो, विलम्ब की अवधि	शून्य दिन
13.	यदि लेखा दाखिल नहीं हुआ है या समय पर दाखिल नहीं किया गया है, तो डीईओ ने अभ्यर्थी से स्पष्टीकरण मांगा। यदि नहीं तो कारण बतायें।	शून्य
14.	अभ्यर्थी द्वारा दिया गया स्पष्टीकरण, यदि कोई हो	शून्य
14क	अभ्यर्थी द्वारा दिये गये स्पष्टीकरण, यदि कोई हो, पर डीईओ की टिप्पणियाँ	शून्य
15.	सार विवरण के भाग-II में अभ्यर्थी द्वारा सूचित सभी निर्वाचन व्यय का सकल योग	रुपयें 5,10,862.00 ✓
16.	जिला निर्वाचन अधिकारी की राय में, क्या अभ्यर्थी द्वारा निर्वाचन व्यय का लेखा, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 और निर्वाचन का संचालन नियम, 1961 द्वारा अपेक्षित तरीके से दाखिल किया गया है	हाँ
17.	यदि नहीं, तो विवरण सहित निम्नलिखित त्रुटियों का कृपया उल्लेख करें। (i) दिन प्रतिदिन के लेखा रजिस्टर, रोकड़ रजिस्टर, बैंक रजिस्टर, सार विवरण को शामिल करते हुये क्या निर्वाचन व्यय रजिस्टर दाखिल किया गया है	हाँ

	(ii) क्या अभ्यर्थी द्वारा शपथ-पत्र में विधिवत् रूप से शपथ प्रस्तुत की गयी है।	हाँ				
	(iii) क्या निर्वाचन व्यय की मदों के सन्दर्भ में अपेक्षित बाऊचर प्रस्तुत किये गये हैं।	हाँ				
	(iv) क्या निर्वाचन के लिये अलग से बैंक एकाउन्ट खोला गया है।	हाँ				
	(v) क्या सभी व्यय (छोटे-मोटे व्ययों को छोड़कर) बैंक खाते के माध्यम से किये गये हैं।	हाँ				
18.	(i) जिला निर्वाचन अधिकारी ने त्रुटि को सुधारने के लिये क्या अभ्यर्थी को नोटिस जारी किया।	हाँ				
	(ii) क्या अभ्यर्थी ने त्रुटि को सुधारा	हाँ				
	(iii) उपर्युक्त पर जिला निर्वाचन अधिकारी की टिप्पणी जैसे कि त्रुटियों को सुधारा गया या नहीं।	हाँ				
19.	क्या अभ्यर्थी द्वारा सूचित निर्वाचन व्ययों की मदें, छाया प्रेक्षण रजिस्टर और साक्ष्य फोल्डर में दिखाये गये व्ययों के साथ मेल खाती है। यदि नहीं तो निम्नलिखित का उल्लेख करें,	हाँ				
	व्यय की मदें	तारीख	छाया प्रेक्षण रजिस्टर की पृष्ठ संख्या	छाया प्रेक्षण रजिस्टर/साक्ष्य फोल्डर के अनुसार घनराशि का उल्लेख करें	अभ्यर्थी द्वारा दाखिल किये गये लेखा के अनुसार घनराशि	अभ्यर्थी द्वारा न्यूनोक्त घनराशि
1	2	3	4	5	6	7
(i)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
(ii)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
(iii)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
(iv)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
(v)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	योग			शून्य	शून्य	शून्य
20.	क्या अभ्यर्थी ने प्रेक्षक/रिटर्निंग अधिकारी/प्राधिकृत व्यक्तियों द्वारा प्रचार-प्रसार की अवधि के दौरान 03 बार निरीक्षण हेतु लेखांकन निर्वाचन व्यय का अपना रजिस्टर प्रस्तुत किया	नहीं, 02 बार				
21.	यदि जिला निर्वाचन अधिकारी ऊपर संदर्भित पंक्ति संख्या 19 के सामने उल्लिखित तथ्यों से सहमत नहीं हैं तो निम्नलिखित विवरण दें :-					
	(i) क्या जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा नोटिस की गई त्रुटियाँ, प्रचार-प्रसार अवधि के दौरान या लेखा-समाधान बैठक के दौरान अभ्यर्थी के ध्यान में लाई गई	हाँ				
	(ii) यदि हाँ, तो अंग्रेजी (अनुवाद सहित यदि वह क्षेत्रीय भाषा में है तो, विसंगतियों से संबंधित जारी किये सभी नोटिसों की प्रतियाँ सलग्न करें और नोटिस की तिथि का उल्लेख करें)	हाँ, दिनांक 01 अप्रैल 2019, 06 अप्रैल 2019 एवं 09 अप्रैल 2019				
	(iii) क्या अभ्यर्थी ने किसी भी नोटिस का उत्तर दिया ?	हाँ				
	(iv) यदि हाँ, तो कृपया प्राप्त ऐसे स्पष्टीकरण की प्रतियाँ (यदि वे क्षेत्रीय भाषा में है तो उनके अंग्रेजी अनुवाद सहित) सलग्न करें और उत्तर की तारीख का उल्लेख करें।	हाँ				
	(v) अभ्यर्थी के स्पष्टीकरण पर जिलाधिकारी अधिकारी की टिप्पणी/प्रेक्षण।	त्रुटियों का निराकरण किया गया।				

22.	क्या जिला निर्वाचन अधिकारी सहमत हैं कि अभ्यर्थी द्वारा किये गये खर्चों की ठीक-ठीक रिपोर्टिंग की गयी है। व्यय सही रूप से सूचित किये गये है। (डीईओ की संक्षिप्त रिपोर्ट के स्तम्भ संख्या 8 के समान होना चाहिये) दिनांक 22 जून 2019	हॉ (एसके0 प्रमुरुगेशन) जिला निर्वाचन अधिकारी एवं रिटर्निंग आफिसर, 01-टिहरी गढ़वाल संसदीय निर्वाचन क्षेत्र।
23.	व्यय प्रेक्षक की टिप्पणी, यदि कोई है तो दिनांक 24 जून 2019 (महेश चन्द्र भारद्वाज) व्यय प्रेक्षक R-17370	अभ्यर्थी द्वारा बैंक खात से व्यय नहीं किया गया। 24.06.2019. (एसके0 जफरुल हक तनवीर) व्यय प्रेक्षक R-19337

जिला निर्वाचन अधिकारी, देहरादून की संक्षिप्त रिपोर्ट में अभ्यर्थी की कम संख्या-11

का नाम - उत्तराखण्ड

जिला - देहरादून

निर्वाचन - लोक सभा सामान्य निर्वाचन, 2019

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के अन्तर्गत अभ्यर्थी के निर्वाचन व्यय पर जिला अधिकारी की संविज्ञा रिपोर्ट		
क्र०सं०	विवरण	जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा भरा जाये
1	2	3
1.	अभ्यर्थी का नाम तथा पता	बुज भूषण करनवाल, ग्राम सेवला कलां, माजरा, देहरादून।
2.	पार्टी सम्बद्धता, यदि कोई है	निर्दलीय
3.	संसदीय निर्वाचन क्षेत्र की संख्या तथा नाम	01-टिहरी गढ़वाल संसदीय निर्वाचन क्षेत्र
4.	निर्वाचित अभ्यर्थी का नाम	माला राज्य लक्ष्मी शाह
5.	परिणाम की घोषणा की तारीख	23 मई 2019
6.	लेखा-समाधान की तारीख	18 जून 2019
7.	(i) क्या अभ्यर्थी या उसके एजेन्ट को लेखा-समाधान की बैठक की तारीख के बारे में लिखित रूप में सूचित किया गया था। (ii) क्या उसने या उसके एजेन्ट ने बैठक में भाग लिया है।	(i) हाँ (ii) हाँ
8.	क्या अभ्यर्थी द्वारा लेखा-समाधान बैठक के बाद सभी त्रुटियों का लेखा-समाधान किया गया है। (हाँ या नहीं) (यदि नहीं तो वे त्रुटियों स्तम्भ संख्या-19 में दिखायी जायें जिनका समाधान नहीं हो पाया)	हाँ
9.	लेखा दाखिल करने के लिये निर्धारित अंतिम तारीख	22 जून 2019
10.	क्या अभ्यर्थी ने अपना लेखा दाखिल किया है।	
11.	यदि अभ्यर्थी ने लेखा दाखिल किया है तो अभ्यर्थी द्वारा लेखा दाखिल करने की तारीख :- (i) मूल लेखा (ii) लेखा-समाधान बैठक के बाद संशोधित लेखा।	जून 2019 शून्य
12.	क्या लेखा समय पर दाखिल किया गया	हाँ
12क	अगर, समय पर दाखिल नहीं किया है तो, विलम्ब की अवधि	शून्य दिन
13.	यदि लेखा दाखिल नहीं हुआ है या समय पर दाखिल नहीं किया गया है, तो डीईओ ने अभ्यर्थी से स्पष्टीकरण मांगा। यदि नहीं तो कारण बतायें।	शून्य
14.	अभ्यर्थी द्वारा दिया गया स्पष्टीकरण, यदि कोई हो	शून्य
14क	अभ्यर्थी द्वारा दिये गये स्पष्टीकरण, यदि कोई हो, पर डीईओ की टिप्पणियाँ	शून्य
15.	सार विवरण के भाग-II में अभ्यर्थी द्वारा सूचित सभी निर्वाचन व्यय का सकल योग	रुपयें 1,37,450.00
16.	जिला निर्वाचन अधिकारी की राय में, क्या अभ्यर्थी द्वारा निर्वाचन व्यय का लेखा, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 और निर्वाचन का संचालन नियम, 1961 द्वारा अपेक्षित तरीके से दाखिल किया गया है	हाँ
17.	यदि नहीं, तो विवरण सहित निम्नलिखित त्रुटियों का कृपया उल्लेख करें। (i) दिन प्रतिदिन के लेखा रजिस्टर, रोकड़ रजिस्टर, बैंक रजिस्टर, सार विवरण को शामिल करते हुये क्या निर्वाचन व्यय रजिस्टर दाखिल किया गया है	हाँ

	(ii) क्या अभ्यर्थी द्वारा शपथ-पत्र में विधिवत् रूप से शपथ प्रस्तुत की गयी है।	हाँ				
	(iii) क्या निर्वाचन व्यय की मदों के सन्दर्भ में अपेक्षित बाऊचर प्रस्तुत किये गये हैं।	हाँ				
	(iv) क्या निर्वाचन के लिये अलग से बैंक एकाउन्ट खोला गया है।	हाँ				
	(v) क्या सभी व्यय (छोटे-मोटे व्ययों को छोड़कर) बैंक खाते के माध्यम से किये गये हैं।	हाँ				
18.	(i) जिला निर्वाचन अधिकारी ने त्रुटि को सुधारने के लिये क्या अभ्यर्थी को नोटिस जारी किया।	हाँ				
	(ii) क्या अभ्यर्थी ने त्रुटि को सुधारा	हाँ				
	(iii) उपर्युक्त पर जिला निर्वाचन अधिकारी की टिप्पणी जैसे कि त्रुटियों को सुधारा गया या नहीं।	हाँ				
19.	क्या अभ्यर्थी द्वारा सूचित निर्वाचन व्ययों की मदें, छाया प्रेक्षण रजिस्टर और साक्ष्य फोल्डर में दिखाये गये व्ययों के साथ मेल खाती है। यदि नहीं तो निम्नलिखित का उल्लेख करें,	हाँ				
	व्यय की मदें	तरीख	छाया प्रेक्षण रजिस्टर की पृष्ठ संख्या	छाया प्रेक्षण रजिस्टर/ साक्ष्य फोल्डर के अनुसार घनराशि का उल्लेख करें	अभ्यर्थी द्वारा दाखिल किये गये लेखा के अनुसार घनराशि	अभ्यर्थी द्वारा न्यूनोक्त घनराशि
1	2	3	4	5	6	7
(i)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
(ii)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
(iii)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
(iv)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
(v)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	योग			शून्य	शून्य	शून्य
20.	क्या अभ्यर्थी ने प्रेक्षक/रिटर्निंग अधिकारी/प्राधिकृत व्यक्तियों द्वारा प्रचार-प्रसार की अवधि के दौरान 03 बार निरीक्षण हेतु लेखांकन निर्वाचन व्यय का अपना रजिस्टर प्रस्तुत किया	नहीं एक बार				
21.	यदि जिला निर्वाचन अधिकारी ऊपर संदर्भित पवित संख्या 19 के सामने उल्लिखित तथ्यों से सहमत नहीं हैं तो निम्नलिखित विवरण दें :-					
	(i) क्या जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा नोटिस की गई त्रुटियों, प्रचार-प्रसार अवधि के दौरान या लेखा-समाधान बैठक के दौरान अभ्यर्थी के ध्यान में लाई गई	हाँ, दिनांक 01 अप्रैल 2019, 06 अप्रैल 2019 एवं 09 अप्रैल 2019				
	(ii) यदि हाँ, तो अंग्रेजी (अनुवाद सहित यदि वह क्षेत्रीय भाषा में है तो, विसंगतियों से संबंधित जारी किये सभी नोटिसों की प्रतियाँ सलग्न करें और नोटिस की तिथि का उल्लेख करें)	हाँ				
	(iii) क्या अभ्यर्थी ने किसी भी नोटिस का उत्तर दिया ?	हाँ				
	(iv) यदि हाँ, तो कृपया प्राप्त ऐसे स्पष्टीकरण की प्रतियाँ (यदि वे क्षेत्रीय भाषा में है तो उनके अंग्रेजी अनुवाद सहित) सलग्न करें और उत्तर की तारीख का उल्लेख करें।	हाँ				
	(v) अभ्यर्थी के स्पष्टीकरण पर जिलाधिकारी अधिकारी की टिप्पणी/प्रेक्षण।					

22.	क्या जिला निर्वाचन अधिकारी सहमत हैं कि अभ्यर्थी द्वारा किये गये खर्चों की ठीक-ठीक रिपोर्टिंग की गयी है। व्यय सही रूप से सूचित किये गये हैं। (डीईओ की संक्षिप्त रिपोर्ट के स्तम्भ संख्या 8 के समान होना चाहिये) दिनांक 22 जून 2019	हैं (एस0ए0मुकेशगेशन) जिला निर्वाचन अधिकारी एवं रिटर्निंग आफिसर, 01-टिहरी गढ़वाल संसदीय निर्वाचन क्षेत्र।
23.	व्यय प्रेक्षक की टिप्पणी, यदि कोई है तो दिनांक 24 जून 2019 (महेश चन्द्र भारद्वाज) व्यय प्रेक्षक R-17370	अभ्यर्थी द्वारा बैंक खात से निर्वाचन व्यय नहीं किया गया 24.06.2019. (एसके0 जफरुल हक तनवीर) व्यय प्रेक्षक R-19337

जिला निर्वाचन अधिकारी, देहरादून की संक्षिप्त रिपोर्ट में अभ्यर्थी की कम संख्या-12

राज्य का नाम - उत्तराखण्ड

जिला - देहरादून

निर्वाचन - लोक सभा सामान्य निर्वाचन, 2019

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के अन्तर्गत अभ्यर्थी के निर्वाचन व्यय पर जिला अधिकारी की संविधा रिपोर्ट		
क्र०सं०	विवरण	जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा भरा जाये
1	2	3
1.	अभ्यर्थी का नाम तथा पता	ब्रह्म देव झा, 21 आदर्श नगर, बल्लू पुर देहरादून।
2.	पार्टी सम्बद्धता, यदि कोई है	निर्दलीय
3.	संसदीय निर्वाचन क्षेत्र की संख्या तथा नाम	01-टिहरी गढ़वाल संसदीय निर्वाचन क्षेत्र
4.	निर्वाचित अभ्यर्थी का नाम	माला राज्य लक्ष्मी शाह
5.	परिणाम की घोषणा की तारीख	23 मई 2019
6.	लेखा-समाधान की तारीख	18 जून 2019
7.	(i) क्या अभ्यर्थी या उसके एजेन्ट को लेखा-समाधान की बैठक की तारीख के बारे में लिखित रूप में सूचित किया गया था। (ii) क्या उसने या उसके एजेन्ट ने बैठक में भाग लिया है।	(i) हाँ (ii) हाँ
8.	क्या अभ्यर्थी द्वारा लेखा-समाधान बैठक के बाद सभी त्रुटियों का लेखा-समाधान किया गया है। (हाँ या नहीं) (यदि नहीं तो वे त्रुटियाँ स्तम्भ संख्या-19 में दिखायी जायें जिनका समाधान नहीं हो पाया)	हाँ
9.	लेखा दाखिल करने के लिये निर्धारित अंतिम तारीख	22 जून 2019
10.	क्या अभ्यर्थी ने अपना लेखा दाखिल किया है।	
11.	यदि अभ्यर्थी ने लेखा दाखिल किया है तो अभ्यर्थी द्वारा लेखा दाखिल करने की तारीख :- (i) मूल लेखा (ii) लेखा-समाधान बैठक के बाद संशोधित लेखा।	14 जून 2019 शून्य
12.	क्या लेखा समय पर दाखिल किया गया	हाँ
12क	अगर, समय पर दाखिल नहीं किया है तो, विलम्ब की अवधि	शून्य दिन
13.	यदि लेखा दाखिल नहीं हुआ है या समय पर दाखिल नहीं किया गया है, तो डीईओ ने अभ्यर्थी से स्पष्टीकरण मांगा। यदि नहीं तो कारण बतायें।	शून्य
14.	अभ्यर्थी द्वारा दिया गया स्पष्टीकरण, यदि कोई हो	शून्य
14क	अभ्यर्थी द्वारा दिये गये स्पष्टीकरण, यदि कोई हो, पर डीईओ की टिप्पणियाँ	शून्य
15.	सार विवरण के भाग-II में अभ्यर्थी द्वारा सूचित सभी निर्वाचन व्यय का सकल योग	रुपयें 1,73,681.00
16.	जिला निर्वाचन अधिकारी की राय में, क्या अभ्यर्थी द्वारा निर्वाचन व्यय का लेखा, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 और निर्वाचन का संचालन नियम, 1961 द्वारा अपेक्षित तरीके से दाखिल किया गया है	हाँ
17.	यदि नहीं, तो विवरण सहित निम्नलिखित त्रुटियों का कृपया उल्लेख करें। (i) दिन प्रतिदिन के लेखा रजिस्टर, रोकड़ रजिस्टर, बैंक रजिस्टर, सार विवरण को शामिल करते हुये क्या निर्वाचन व्यय रजिस्टर दाखिल किया गया है	हाँ

	(ii) क्या अभ्यर्थी द्वारा शपथ-पत्र में विधिवत् रूप से शपथ प्रस्तुत की गयी है।	हाँ				
	(iii) क्या निर्वाचन व्यय की मदों के सन्दर्भ में अपेक्षित बाऊचर प्रस्तुत किये गये है।	हाँ				
	(iv) क्या निर्वाचन के लिये अलग से बैंक एकाउन्ट खोला गया है।	हाँ				
	(v) क्या सभी व्यय (छोटे-मोटे व्ययों को छोड़कर) बैंक खाते के माध्यम से किये गये है।	हाँ				
18.	(i) जिला निर्वाचन अधिकारी ने त्रुटि को सुधारने के लिये क्या अभ्यर्थी को नोटिस जारी किया।	हाँ				
	(ii) क्या अभ्यर्थी ने त्रुटि को सुधारा	हाँ				
	(iii) उपर्युक्त पर जिला निर्वाचन अधिकारी की टिप्पणी जैसे कि त्रुटियों को सुधारा गया या नहीं।	हाँ				
19.	क्या अभ्यर्थी द्वारा सूचित निर्वाचन व्ययों की मदें, छाया प्रेक्षण रजिस्टर और साक्ष्य फोल्डर में दिखाये गये व्ययों के साथ मेल खाती है। यदि नहीं तो निम्नलिखित का उल्लेख करें,	हाँ				
	व्यय की मदें	तारीख	छाया प्रेक्षण रजिस्टर की पृष्ठ संख्या	छाया प्रेक्षण रजिस्टर/ साक्ष्य फोल्डर के अनुसार घनराशि का उल्लेख करें	अभ्यर्थी द्वारा दाखिल किये गये लेखा के अनुसार घनराशि	अभ्यर्थी द्वारा न्यूनोक्त घनराशि
1	2	3	4	5	6	7
(i)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
(ii)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
(iii)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
(iv)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
(v)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	योग			शून्य	शून्य	शून्य
20.	क्या अभ्यर्थी ने प्रेक्षक/रिटर्निंग अधिकारी/प्राधिकृत व्यक्तियों द्वारा प्रचार-प्रसार की अवधि के दौरान 03 बार निरीक्षण हेतु लेखांकन निर्वाचन व्यय का अपना रजिस्टर प्रस्तुत किया			नहीं एक बार		
21.	यदि जिला निर्वाचन अधिकारी ऊपर संदर्भित पंक्ति संख्या 19 के सामने उल्लिखित तथ्यों से सहमत नहीं हैं तो निम्नलिखित विवरण दें :-					
	(i) क्या जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा नोटिस की गई त्रुटियाँ, प्रचार-प्रसार अवधि के दौरान या लेखा-समाधान बैठक के दौरान अभ्यर्थी के ध्यान में लाई गई			हाँ		
	(ii) यदि हाँ, तो अंग्रेजी (अनुवाद सहित यदि वह क्षेत्रीय भाषा में है तो, विसंगतियों से संबंधित जारी किये सभी नोटिसों की प्रतियाँ सलग्न करें और नोटिस की तिथि का उल्लेख करें)			हाँ, दिनांक 01 अप्रैल 2019, 06 अप्रैल 2019 एवं 09 अप्रैल 2019		
	(iii) क्या अभ्यर्थी ने किसी भी नोटिस का उत्तर दिया ?			हाँ		
	(iv) यदि हाँ, तो कृपया प्राप्त ऐसे स्पष्टीकरण की प्रतियाँ (यदि वे क्षेत्रीय भाषा में है तो उनके अंग्रेजी अनुवाद सहित) सलग्न करें और उत्तर की तारीख का उल्लेख करें।			हाँ		
	(v) अभ्यर्थी के स्पष्टीकरण पर जिलाधिकारी अधिकारी की टिप्पणी/प्रेक्षण।					

22.	ज्या जिला निर्वाचन अधिकारी सहमत हैं कि अभ्यर्थी द्वारा किये गये खर्चों की ठीक-ठीक रिपोर्टिंग की गयी है। व्यय सही रूप से सूचित किये गये है। (डीईओ की संक्षिप्त रिपोर्ट के स्तम्भ संख्या 8 के समान होना चाहिये) दिनांक 22 जून 2019	हाँ (एसके0 मुरुरेशन) जिला निर्वाचन अधिकारी एवं रिटर्निंग आफिसर, 01-टिहरी गढ़वाल संसदीय निर्वाचन क्षेत्र।
23.	व्यय प्रेक्षक की टिप्पणी, यदि कोई है तो दिनांक 24 जून 2019 (महेश चन्द्र भारद्वाज) व्यय प्रेक्षक R-17370	शून्य (एसके0 जफरूल हक तनवीर) व्यय प्रेक्षक R-19337

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के अन्तर्गत अभ्यर्थी के निर्वाचन व्यय पर जिला अधिकारी की संविक्षा रिपोर्ट		
क्र०सं०	विवरण	जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा भरा जायें
1	2	3
1.	अभ्यर्थी का नाम तथा पता	मधु शाह, टीएचडीसी कालौनी, बल्लु पूर, देहरादून।
2.	पार्टी सम्बद्धता, यदि कोई है	निर्दलीय
3.	संसदीय निर्वाचन क्षेत्र की संख्या तथा नाम	01-टिहरी गढ़वाल संसदीय निर्वाचन क्षेत्र
4.	निर्वाचित अभ्यर्थी का नाम	माला राज्य लक्ष्मी शाह
5.	परिणाम की घोषणा की तारीख	23 मई 2019
6.	लेखा-समाधान की तारीख	18 जून 2019
7.	(i) क्या अभ्यर्थी या उसके एजेंट को लेखा-समाधान की बैठक की तारीख के बारे में लिखित रूप में सूचित किया गया था। (ii) क्या उसने या उसके एजेंट ने बैठक में भाग लिया है।	(i) हाँ (ii) नहीं
8.	क्या अभ्यर्थी द्वारा लेखा-समाधान बैठक के बाद सभी त्रुटियों का लेखा-समाधान किया गया है। (हाँ या नहीं) (यदि नहीं तो वे त्रुटियाँ स्तम्भ संख्या-19 में दिखायी जायें जिनका समाधान नहीं हो पाया)	नहीं, अभ्यर्थी द्वारा अपना निर्वाचन व्यय लेखा दाखिल नहीं किया।
9.	लेखा दाखिल करने के लिये निर्धारित अंतिम तारीख	22 जून 2019
10.	क्या अभ्यर्थी ने अपना लेखा दाखिल किया है।	नहीं अभ्यर्थी द्वारा अपना निर्वाचन व्यय लेखा दाखिल नहीं किया।
11.	यदि अभ्यर्थी ने लेखा दाखिल किया है तो अभ्यर्थी द्वारा लेखा दाखिल करने की तारीख :- (i) मूल लेखा (ii) लेखा-समाधान बैठक के बाद संशोधित लेखा।	नहीं अभ्यर्थी द्वारा अपना निर्वाचन व्यय लेखा दाखिल नहीं किया। शून्य
12.	क्या लेखा समय पर दाखिल किया गया	हाँ
12क	अगर, समय पर दाखिल नहीं किया है तो, विलम्ब की अवधि	शून्य दिन
13.	यदि लेखा दाखिल नहीं हुआ है या समय पर दाखिल नहीं किया गया है, तो डीईओ ने अभ्यर्थी से स्पष्टीकरण मांगा। यदि नहीं तो कारण बतायें।	नोटिस जारी किया गया।
14.	अभ्यर्थी द्वारा दिया गया स्पष्टीकरण, यदि कोई हो	शून्य
14क	अभ्यर्थी द्वारा दिये गये स्पष्टीकरण, यदि कोई हो, पर डीईओ की टिप्पणियाँ	शून्य
15.	सार विवरण के भाग-II में अभ्यर्थी द्वारा सूचित सभी निर्वाचन व्यय का सकल योग	नहीं अभ्यर्थी द्वारा अपना निर्वाचन व्यय लेखादाखिल नहीं किया।
16.	जिला निर्वाचन अधिकारी की राय में, क्या अभ्यर्थी द्वारा निर्वाचन व्यय का लेखा, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 और निर्वाचन का संचालन नियम, 1961 द्वारा अपेक्षित तरीके से दाखिल किया गया है	नहीं अभ्यर्थी द्वारा अपना निर्वाचन व्यय लेखादाखिल नहीं किया।
17.	यदि नहीं, तो विवरण सहित निम्नलिखित त्रुटियों का कृपया उल्लेख करें। (i) दिन प्रतिदिन के लेखा रजिस्टर, रोकड़ रजिस्टर, बैंक रजिस्टर, सार विवरण को शामिल करते हुये क्या निर्वाचन व्यय रजिस्टर दाखिल किया गया है	नहीं अभ्यर्थी द्वारा अपना निर्वाचन व्यय लेखादाखिल नहीं किया।

	(ii) क्या अभ्यर्थी द्वारा शपथ-पत्र में विधिवत् रूप से शपथ प्रस्तुत की गयी है।	नहीं अभ्यर्थी द्वारा अपना निर्वाचन व्यय लेखादाखिल नहीं किया।				
	(iii) क्या निर्वाचन व्यय की मदों के सन्दर्भ में अपेक्षित बाऊचर प्रस्तुत किये गये हैं।	नहीं अभ्यर्थी द्वारा अपना निर्वाचन व्यय लेखादाखिल नहीं किया।				
	(iv) क्या निर्वाचन के लिये अलग से बैंक एकाउन्ट खोला गया है।	नहीं अभ्यर्थी द्वारा अपना निर्वाचन व्यय लेखादाखिल नहीं किया।				
	(v) क्या सभी व्यय (छोटे-मोटे व्ययों को छोड़कर) बैंक खाते के माध्यम से किये गये हैं।	नहीं अभ्यर्थी द्वारा अपना निर्वाचन व्यय लेखादाखिल नहीं किया।				
18.	(i) जिला निर्वाचन अधिकारी ने त्रुटि को सुधारने के लिये क्या अभ्यर्थी को नोटिस जारी किया।	नहीं अभ्यर्थी द्वारा अपना निर्वाचन व्यय लेखादाखिल नहीं किया।				
	(ii) क्या अभ्यर्थी ने त्रुटि को सुधारा					
	(iii) उपर्युक्त पर जिला निर्वाचन अधिकारी की टिप्पणी जैसे कि त्रुटियों को सुधारा गया या नहीं।	नहीं अभ्यर्थी द्वारा अपना निर्वाचन व्यय लेखादाखिल नहीं किया।				
19.	क्या अभ्यर्थी द्वारा सूचित निर्वाचन व्ययों की मदें, छाया प्रेक्षण रजिस्टर और साक्ष्य फोल्डर में दिखाये गये व्ययों के साथ मेल खाती हैं। यदि नहीं तो निम्नलिखित का उल्लेख करें,	नहीं अभ्यर्थी द्वारा अपना निर्वाचन व्यय लेखादाखिल नहीं किया।				
	व्यय की मदें	तारीख	छाया प्रेक्षण रजिस्टर की पृष्ठ संख्या	छाया प्रेक्षण रजिस्टर/ साक्ष्य फोल्डर के अनुसार धनराशि का उल्लेख करें	अभ्यर्थी द्वारा दाखिल किये गये लेखा के अनुसार धनराशि	अभ्यर्थी द्वारा न्यूनोक्त धनराशि
1	2	3	4	5	6	7
(i)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
(ii)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
(iii)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
(iv)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
(v)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	योग			शून्य	शून्य	शून्य
20.	क्या अभ्यर्थी ने प्रेक्षक/रिटर्निंग अधिकारी/प्राधिकृत व्यक्तियों द्वारा प्रचार-प्रसार की अवधि के दौरान 03 बार निरीक्षण हेतु लेखांकन निर्वाचन व्यय का अपना रजिस्टर प्रस्तुत किया	नहीं 02 बार				
21.	यदि जिला निर्वाचन अधिकारी ऊपर संदर्भित पंक्ति संख्या 19 के सामने उल्लिखित तथ्यों से सहमत नहीं हैं तो निम्नलिखित विवरण दें :-					
	(i) क्या जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा नोटिस की गई त्रुटियाँ, प्रचार-प्रसार अवधि के दौरान या लेखा-समाधान बैठक के दौरान अभ्यर्थी के ध्यान में लाई गई	नहीं अभ्यर्थी द्वारा अपना निर्वाचन व्यय लेखादाखिल नहीं किया।				
	(ii) यदि हाँ, तो अंग्रेजी (अनुवाद सहित यदि वह क्षेत्रीय भाषा में है तो, विसंगतियों से संबंधित जारी किये सभी नोटिसों की प्रतियाँ सलग्न करें और नोटिस की तिथि का उल्लेख करें)	हाँ, 01 अप्रैल 2019, 06 अप्रैल 2019 एवं 09 अप्रैल 2019				
	(iii) क्या अभ्यर्थी ने किसी भी नोटिस का उत्तर दिया ?	नहीं				
	(iv) यदि हाँ, तो कृपया प्राप्त ऐसे स्पष्टीकरण की प्रतियाँ (यदि वे क्षेत्रीय भाषा में है तो उनके अंग्रेजी अनुवाद सहित) सलग्न करें और उत्तर की तारीख का उल्लेख करें।	नहीं				
	(v) अभ्यर्थी के स्पष्टीकरण पर जिलाधिकारी अधिकारी की टिप्पणी/प्रेक्षण।	नहीं				

22.	क्या जिला निर्वाचन अधिकारी सहमत हैं कि अभ्यर्थी द्वारा किये गये खर्चों की ठीक-ठीक रिपोर्टिंग की गयी है। व्यय सही रूप से सूचित किये गये हैं। (डीईओ की संक्षिप्त रिपोर्ट के स्तम्भ संख्या 8 के समान होना चाहिये) दिनांक 22 जून 2019	नहीं (एसके0 मुरुगेशन) जिला निर्वाचन अधिकारी एवं रिटर्निंग आफिसर, 01-टिहरी गढ़वाल संसदीय निर्वाचन क्षेत्र।
23.	व्यय प्रेक्षक की टिप्पणी, यदि कोई है तो दिनांक 24 जून 2019 (महेश चन्द्र भारद्वाज) व्यय प्रेक्षक R-17370	नहीं अभ्यर्थी द्वारा अपना निर्वाचन व्यय लेखादाखिल नहीं किया। (एसके0 जफरुल हक तनवीर) व्यय प्रेक्षक R-19337

जिला निर्वाचन अधिकारी, देहरादून की संक्षिप्त रिपोर्ट में अभ्यर्थी की कम संख्या-14

राज्य का नाम - उत्तराखण्ड जिला - देहरादून निर्वाचन - लोक सभा सामान्य निर्वाचन, 2019

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के अन्तर्गत अभ्यर्थी के निर्वाचन व्यय पर जिला अधिकारी की संविज्ञा रिपोर्ट		
क्र०सं०	विवरण	जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा भरा जायें
1	2	3
1.	अभ्यर्थी का नाम तथा पता	संजय गोयल, 45 खदरी मौहल्ला, देहरादून।
2.	पार्टी सम्बद्धता, यदि कोई है	निर्दलीय
3.	संसदीय निर्वाचन क्षेत्र की संख्या तथा नाम	01-टिहरी गढ़वाल संसदीय निर्वाचन क्षेत्र
4.	निर्वाचित अभ्यर्थी का नाम	माला राज्य लक्ष्मी शाह
5.	परिणाम की घोषणा की तारीख	23 मई 2019
6.	लेखा-समाधान की तारीख	18 जून 2019
7.	(i) क्या अभ्यर्थी या उसके एजेंट को लेखा-समाधान की बैठक की तारीख के बारे में लिखित रूप में सूचित किया गया था। (ii) क्या उसने या उसके एजेंट ने बैठक में भाग लिया है।	(i) हाँ (ii) नहीं
8.	क्या अभ्यर्थी द्वारा लेखा-समाधान बैठक के बाद सभी त्रुटियों का लेखा-समाधान किया गया है। (हाँ या नहीं) (यदि नहीं तो वे त्रुटियाँ स्तम्भ संख्या-19 में दिखायी जायें जिनका समाधान नहीं हो पाया)	हाँ
9.	लेखा दाखिल करने के लिये निर्धारित अंतिम तारीख	22 जून 2019
10.	क्या अभ्यर्थी ने अपना लेखा दाखिल किया है।	
11.	यदि अभ्यर्थी ने लेखा दाखिल किया है तो अभ्यर्थी द्वारा लेखा दाखिल करने की तारीख :- (i) मूल लेखा (ii) लेखा-समाधान बैठक के बाद संशोधित लेखा।	22 जून 2019 शून्य
12.	क्या लेखा समय पर दाखिल किया गया	हाँ
12क	अगर, समय पर दाखिल नहीं किया है तो, विलम्ब की अवधि	शून्य दिन
13.	यदि लेखा दाखिल नहीं हुआ है या समय पर दाखिल नहीं किया गया है, तो डीईओ ने अभ्यर्थी से स्पष्टीकरण मांगा। यदि नहीं तो कारण बतायें।	शून्य
14.	अभ्यर्थी द्वारा दिया गया स्पष्टीकरण, यदि कोई हो	शून्य
14क	अभ्यर्थी द्वारा दिये गये स्पष्टीकरण, यदि कोई हो, पर डीईओ की टिप्पणियाँ	शून्य
15.	सार विवरण के भाग-II में अभ्यर्थी द्वारा सूचित सभी निर्वाचन व्यय का सकल योग	रुपयें 2,07,213.00
16.	जिला निर्वाचन अधिकारी की राय में, क्या अभ्यर्थी द्वारा निर्वाचन व्यय का लेखा, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 और निर्वाचन का संचालन नियम, 1961 द्वारा अपेक्षित तरीके से दाखिल किया गया है	हाँ
17.	यदि नहीं, तो विवरण सहित निम्नलिखित त्रुटियों का कृपया उल्लेख करें। (i) दिन प्रतिदिन के लेखा रजिस्टर, रोकड रजिस्टर, बैंक रजिस्टर, सार विवरण को शामिल करते हुये क्या निर्वाचन व्यय रजिस्टर दाखिल किया गया है	हाँ

	(ii) क्या अभ्यर्थी द्वारा शपथ-पत्र में विधिवत् रूप से शपथ प्रस्तुत की गयी है।	हाँ				
	(iii) क्या निर्वाचन व्यय की मदों के सन्दर्भ में अपेक्षित बाऊचर प्रस्तुत किये गये हैं।	हाँ				
	(iv) क्या निर्वाचन के लिये अलग से बैंक एकाउन्ट खोला गया है।	हाँ				
	(v) क्या सभी व्यय (छोटे-मोटे व्ययों को छोड़कर) बैंक खाते के माध्यम से किये गये हैं।	हाँ				
18.	(i) जिला निर्वाचन अधिकारी ने त्रुटि को सुधारने के लिये क्या अभ्यर्थी को नोटिस जारी किया।	हाँ				
	(ii) क्या अभ्यर्थी ने त्रुटि को सुधारा	हाँ				
	(iii) उपर्युक्त पर जिला निर्वाचन अधिकारी की टिप्पणी जैसे कि त्रुटियों को सुधारा गया या नहीं।	हाँ				
19.	क्या अभ्यर्थी द्वारा सूचित निर्वाचन व्ययों की मदें, छाया प्रेक्षण रजिस्टर और साक्ष्य फोल्डर में दिखाये गये व्ययों के साथ मेल खाती है। यदि नहीं तो निम्नलिखित का उल्लेख करें,	हाँ				
	व्यय की मदें	तारीख	छाया प्रेक्षण रजिस्टर की पृष्ठ संख्या	छाया प्रेक्षण रजिस्टर/साक्ष्य फोल्डर के अनुसार धनराशि का उल्लेख करें	अभ्यर्थी द्वारा दाखिल किये गये लेखा के अनुसार धनराशि	अभ्यर्थी द्वारा न्यूनोक्त धनराशि
1	2	3	4	5	6	7
(i)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
(ii)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
(iii)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
(iv)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
(v)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	योग			शून्य	शून्य	शून्य
20.	क्या अभ्यर्थी ने प्रेक्षक/रिटर्निंग अधिकारी/प्राधिकृत व्यक्तियों द्वारा प्रचार-प्रसार की अवधि के दौरान 03 बार निरीक्षण हेतु लेखांकन निर्वाचन व्यय का अपना रजिस्टर प्रस्तुत किया	नहीं, एक बार				
21.	यदि जिला निर्वाचन अधिकारी ऊपर संदर्भित पंक्ति संख्या 19 के सामने उल्लिखित तथ्यों से सहमत नहीं हैं तो निम्नलिखित विवरण दें :-					
	(i) क्या जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा नोटिस की गई त्रुटियाँ, प्रचार-प्रसार अवधि के दौरान या लेखा-समाधान बैठक के दौरान अभ्यर्थी के ध्यान में लाई गई	हाँ				
	(ii) यदि हाँ, तो अंग्रेजी (अनुवाद सहित यदि वह क्षेत्रीय भाषा में है तो, विसंगतियों से संबंधित जारी किये सभी नोटिसों की प्रतियाँ सलग्न करें और नोटिस की तिथि का उल्लेख करें)	हाँ, 01 अप्रैल 2019, 06 अप्रैल 2019 एवं 09 अप्रैल 2019				
	(iii) क्या अभ्यर्थी ने किसी भी नोटिस का उत्तर दिया ?	हाँ				
	(iv) यदि हाँ, तो कृपया प्राप्त ऐसे स्पष्टीकरण की प्रतियाँ (यदि वे क्षेत्रीय भाषा में है तो उनके अंग्रेजी अनुवाद सहित) सलग्न करें और उत्तर की तारीख का उल्लेख करें।	हाँ				
	(v) अभ्यर्थी के स्पष्टीकरण पर जिलाधिकारी अधिकारी की टिप्पणी/प्रेक्षण।	त्रुटियों का निराकरण किया गया।				

22.	क्या जिला निर्वाचन अधिकारी सहमत हैं कि अभ्यर्थी द्वारा किये गये खर्चों की ठीक-ठीक रिपोर्टिंग की गयी है। व्यय सही रूप से सूचित किये गये है। (डीईओ की संक्षिप्त रिपोर्ट के स्तम्भ संख्या 8 के समान होना चाहिये) दिनांक 22 जून 2019	हाँ (एस0एम0मुरुगेशन) जिला निर्वाचन अधिकारी एवं रिटर्निंग आफिसर, 01-टिहरी गढ़वाल संसदीय निर्वाचन क्षेत्र।
23.	व्यय प्रेक्षक की टिप्पणी, यदि कोई है तो दिनांक 24 जून 2019 (महेश चन्द्र भारद्वाज) व्यय प्रेक्षक R-17370	शून्य 24.06.2019. (एसके0 जफरुल हक तनवीर) व्यय प्रेक्षक R-19337

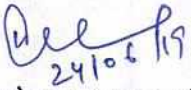
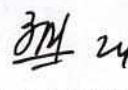
जिला निर्वाचन अधिकारी, देहरादून की संक्षिप्त रिपोर्ट में अभ्यर्थी की कम संख्या-15

राज्य का नाम - उत्तराखण्ड जिला - देहरादून निर्वाचन - लोक सभा सामान्य निर्वाचन, 2019

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के अन्तर्गत अभ्यर्थी के निर्वाचन व्यय पर जिला अधिकारी की संविदा रिपोर्ट

क्र०सं०	विवरण	जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा भरा जाये
1	2	3
1.	अभ्यर्थी का नाम तथा पता	सरदार खान (पप्पू), डी0एस0 नेगी कालौनी, आमवाला तरला, देहरादून।
2.	पार्टी सम्बद्धता, यदि कोई है	निर्दलीय
3.	संसदीय निर्वाचन क्षेत्र की संख्या तथा नाम	01-टिहरी गढ़वाल संसदीय निर्वाचन क्षेत्र
4.	निर्वाचित अभ्यर्थी का नाम	माला राज्य लक्ष्मी शाह
5.	परिणाम की घोषणा की तारीख	23 मई 2019
6.	लेखा-समाधान की तारीख	18 जून 2019
7.	(i) क्या अभ्यर्थी या उसके एजेन्ट को लेखा-समाधान की बैठक की तारीख के बारे में लिखित रूप में सूचित किया गया था। (ii) क्या उसने या उसके एजेन्ट ने बैठक में भाग लिया है।	(i) हाँ (ii) हाँ
8.	क्या अभ्यर्थी द्वारा लेखा-समाधान बैठक के बाद सभी त्रुटियों का लेखा-समाधान किया गया है। (हाँ या नहीं) (यदि नहीं तो वे त्रुटियाँ स्तम्भ संख्या-19 में दिखायी जायें जिनका समाधान नहीं हो पाया)	हाँ
9.	लेखा दाखिल करने के लिये निर्धारित अंतिम तारीख	22 जून 2019
10.	क्या अभ्यर्थी ने अपना लेखा दाखिल किया है।	
11.	यदि अभ्यर्थी ने लेखा दाखिल किया है तो अभ्यर्थी द्वारा लेखा दाखिल करने की तारीख :- (i) मूल लेखा (ii) लेखा-समाधान बैठक के बाद संशोधित लेखा।	21 जून 2019 शून्य
12.	क्या लेखा समय पर दाखिल किया गया	हाँ
12क	अगर, समय पर दाखिल नहीं किया है तो, विलम्ब की अवधि	शून्य दिन
13.	यदि लेखा दाखिल नहीं हुआ है या समय पर दाखिल नहीं किया गया है, तो डीईओ ने अभ्यर्थी से स्पष्टीकरण मांगा। यदि नहीं तो कारण बतायें।	शून्य
14.	अभ्यर्थी द्वारा दिया गया स्पष्टीकरण, यदि कोई हो	शून्य
14क	अभ्यर्थी द्वारा दिये गये स्पष्टीकरण, यदि कोई हो, पर डीईओ की टिप्पणियाँ	शून्य
15.	सार विवरण के भाग-II में अभ्यर्थी द्वारा सूचित सभी निर्वाचन व्यय का सकल योग	रुपयें 80,848.00
16.	जिला निर्वाचन अधिकारी की राय में, क्या अभ्यर्थी द्वारा निर्वाचन व्यय का लेखा, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 और निर्वाचन का संचालन नियम, 1961 द्वारा अपेक्षित तरीके से दाखिल किया गया है	हाँ
17.	यदि नहीं, तो विवरण सहित निम्नलिखित त्रुटियों का कृपया उल्लेख करें। (i) दिन प्रतिदिन के लेखा रजिस्टर, रोकड़ रजिस्टर, बैंक रजिस्टर, सार विवरण को शामिल करते हुये क्या निर्वाचन व्यय रजिस्टर दाखिल किया गया है	हाँ

	(ii)	क्या अभ्यर्थी द्वारा शपथ-पत्र में विधिवत् रूप से शपथ प्रस्तुत की गयी है।	हाँ			
	(iii)	क्या निर्वाचन व्यय की मदों के सन्दर्भ में अपेक्षित बाऊचर प्रस्तुत किये गये हैं।	हाँ			
	(iv)	क्या निर्वाचन के लिये अलग से बैंक एकाउन्ट खोला गया है।	हाँ			
	(v)	क्या सभी व्यय (छोटे-मोटे व्ययों को छोड़कर) बैंक खाते के माध्यम से किये गये हैं।	हाँ			
18.	(i)	जिला निर्वाचन अधिकारी ने त्रुटि को सुधारने के लिये क्या अभ्यर्थी को नोटिस जारी किया।	हाँ			
	(ii)	क्या अभ्यर्थी ने त्रुटि को सुधारा	हाँ			
	(iii)	उपर्युक्त पर जिला निर्वाचन अधिकारी की टिप्पणी जैसे कि त्रुटियों को सुधारा गया या नहीं।	हाँ			
19.	क्या अभ्यर्थी द्वारा सूचित निर्वाचन व्ययों की मदें, छाया प्रेक्षण रजिस्टर और साक्ष्य फोल्डर में दिखाये गये व्ययों के साथ मेल खाती है। यदि नहीं तो निम्नलिखित का उल्लेख करें,		हाँ			
	व्यय की मदें	तरीख	छाया प्रेक्षण रजिस्टर की पृष्ठ संख्या	छाया प्रेक्षण रजिस्टर/ साक्ष्य फोल्डर के अनुसार धनराशि का उल्लेख करें	अभ्यर्थी द्वारा दाखिल किये गये लेखा के अनुसार धनराशि	अभ्यर्थी द्वारा न्यूनोक्त धनराशि
1	2	3	4	5	6	7
(i)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
(ii)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
(iii)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
(iv)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
(v)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	योग			शून्य	शून्य	शून्य
20.	क्या अभ्यर्थी ने प्रेक्षक/रिटर्निंग अधिकारी/प्राधिकृत व्यक्तियों द्वारा प्रचार-प्रसार की अवधि के दौरान 03 बार निरीक्षण हेतु लेखांकन निर्वाचन व्यय का अपना रजिस्टर प्रस्तुत किया			नहीं, 02 बार		
21.	यदि जिला निर्वाचन अधिकारी ऊपर संदर्भित पंक्ति संख्या 19 के सामने उल्लिखित तथ्यों से सहमत नहीं हैं तो निम्नलिखित विवरण दें :-					
	(i)	क्या जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा नोटिस की गई त्रुटियाँ, प्रचार-प्रसार अवधि के दौरान या लेखा-समाधान बैठक के दौरान अभ्यर्थी के ध्यान में लाई गई		हाँ		
	(ii)	यदि हाँ, तो अंग्रेजी (अनुवाद सहित यदि वह क्षेत्रीय भाषा में है तो, विसंगतियों से संबंधित जारी किये सभी नोटिसों की प्रतियाँ सलग्न करें और नोटिस की तिथि का उल्लेख करें)		हाँ, दिनांक 01 अप्रैल 2019, 06 अप्रैल 2019 एवं 09 अप्रैल 2019		
	(iii)	क्या अभ्यर्थी ने किसी भी नोटिस का उत्तर दिया ?		हाँ		
	(iv)	यदि हाँ, तो कृपया प्राप्त ऐसे स्पष्टीकरण की प्रतियाँ (यदि वे क्षेत्रीय भाषा में है तो उनके अंग्रेजी अनुवाद सहित) सलग्न करें और उत्तर की तारीख का उल्लेख करें।		हाँ		
	(v)	अभ्यर्थी के स्पष्टीकरण पर जिलाधिकारी अधिकारी की टिप्पणी/प्रेक्षण।		त्रुटियों का निराकरण किया गया।		

22.	क्या जिला निर्वाचन अधिकारी सहमत हैं कि अभ्यर्थी द्वारा किये गये खर्चों की ठीक-ठीक रिपोर्टिंग की गयी है। व्यय सही रूप से सूचित किये गये है। (डीईओ की संक्षिप्त रिपोर्ट के स्तम्भ संख्या 8 के समान होना चाहिये) दिनांक 22 जून 2019	हाँ (एसकेएम मुरगेशन) जिला निर्वाचन अधिकारी एवं रिटर्निंग आफिसर, 01-टिहरी गढ़वाल संसदीय निर्वाचन क्षेत्र।
23.	व्यय प्रेक्षक की टिप्पणी, यदि कोई है तो दिनांक 24 जून 2019  (महेश चन्द्र भारद्वाज) व्यय प्रेक्षक R-17370	शून्य  24.06.2019 (एसके0 जफरुल हक तनवीर) व्यय प्रेक्षक R-19337